रजिस्ट्री सं० डी- 222

REGISTERED No. D-222

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 11] नई दिल्ली, शनिवार, मार्च 11, 1972 (फाल्गुन 21, 1893)

No. 11] NEW DELHI, SATURDAY, MARCH 11, 1972 (PHALGUNA 21, 1893)

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके

(Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation)

नोटिस

(NOTICE)

नीचे लिखे भारत के असाधारण राजपत्र 8 फरवरी 1971 तक प्रकाशित किये गये हैं :—

The undermentioned *Gazettes of India Extraordinary* were published up to the 8th February 1971 :—

अंक (Issue No.)	संख्या और तिथि (No. and Date)	द्वारा जारी किया गया (Issued by)	विषय (Subject)
1	2	3	4

शून्य

—NIL—

ऊपर लिखे असाधारण राजपत्रों की प्रतियां प्रकाशन प्रबन्धक, सिविल लाइन्स, दिल्ली के नाम मांग-पत्र भेजने पर भेज दी जाएंगी । मांग-पत्र प्रबन्धक के पास इन राजपत्रों के जारी होने की तिथि से दस दिन के भीतर पहुंच जाने चाहिएं ।

Copies of the *Gazettes Extraordinary* mentioned above will be supplied on indent to the Manager of Publications, Civil Lines, Delhi. Indents should be submitted so as to reach the Manager within ten days of the date of issue of these Gazettes.

विषय-सूची

	पृष्ठ
भाग I—खंड 1—(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की गई विधितर नियमों विनियमों तथा आदेशों और संकल्पों से सम्बन्धित अधिसूचनाएं . . .	337
भाग I—खंड 2—(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मन्त्रालयों और उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की गई सरकारी अफसरों की नियुक्तियों, पदोन्नतियों, छुट्टियों आदि से सम्बन्धित अधिसूचनाएं	417
भाग I—खंड 3—रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी की गई विधितर नियमों, विनियमों, आदेशों और संकल्पों से सम्बन्धित अधिसूचनाएं	—
भाग I—खंड 4—रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी की गई अफसरों की नियुक्तियों, पदोन्नतियों, छुट्टियों आदि से सम्बन्धित अधिसूचनाएं	339
भाग II—खंड 1—अधिनियम, अध्यादेश और विनियम	—
भाग II—खंड 2—विधेयक और विधेयकों संबंधी प्रवर समितियों की रिपोर्टें . .	—
भाग II—खंड 3 उपखंड (i)—(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और (संघ-राज्य क्षेत्रों के प्रशासनों को छोड़कर) केन्द्रीय प्राधिकारों द्वारा जारी किए गए विधि के अन्तर्गत बनाए और जारी किए गए साधारण नियम (जिनमें साधारण प्रकार के आदेश, उप-नियम आदि सम्मिलित हैं) . .	679
भाग II—खंड 3 उपखंड (ii)—रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और (संघ-राज्य क्षेत्रों के प्रशासनों को छोड़कर) केन्द्रीय प्राधिकारों द्वारा विधि के अन्तर्गत बनाए और जारी किए गए आदेश और अधिसूचनाएं . .	1063
भाग II—खंड 4—रक्षा मंत्रालय द्वारा अधिसूचित विधिक नियम और आदेश .	89
भाग III—खंड 1—महालेखा परीक्षक, संघ लोकसेवा आयोग, रेल प्रशासन, उच्च न्यायालयों और भारत सरकार के अधीन तथा संलग्न कार्यालयों द्वारा जारी की गई अधिसूचनाएं	383
भाग III—खंड 2—एकस्व कार्यालय, कलकत्ता द्वारा जारी की गई अधिसूचनाएं और नोटिस	81
भाग III—खंड 3—मुख्य आयुक्तों द्वारा या उनके प्राधिकार से जारी की गई अधिसूचनाएं	23
भाग III—खंड 4—विधिक निकायों द्वारा जारी की गई विविध अधिसूचनाएं जिनमें अधिसूचनाएं, आदेश, विज्ञापन और नोटिसें शामिल हैं	873
भाग IV—गैर-सरकारी व्यक्तियों और गैर-सरकारी संस्थाओं के विज्ञापन तथा नोटिसें .	55
पूरक संख्या 11—	
4 मार्च, 1972 को समाप्त होने वाले सप्ताह की महामारी संबंधी साप्ताहिक रिपोर्ट	413
12 फरवरी, 1972 को समाप्त होने वाले सप्ताह के दौरान भारत में 30,000 तथा उससे अधिक आबादी के शहरों में जन्म तथा बड़ी बीमारियों से हुई मृत्यु सम्बन्धी आंकड़ें	423

CONTENTS

	PAGE
PART I—SECTION 1.—Notifications relating to Non-Statutory Rules, Regulations, Orders and Resolutions issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Supreme Court	337
PART I—SECTION 2.—Notifications regarding Appointments, Promotions, Leave etc. of Government Officers issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Supreme Court	417
PART I—SECTION 3.—Notifications relating to Non-Statutory Rules, Regulations, Orders and Resolutions issued by the Ministry of Defence	—
PART I—SECTION 4.—Notifications regarding Appointments, Promotions, Leave etc. of Officers issued by the Ministry of Defence	339
PART II—SECTION 1.—Acts, Ordinances and Regulations	—
PART II—SECTION 2.—Bills and Reports of Select Committees on Bills	—
PART II—SECTION 3.—SUB.-SEC. (i)—General Statutory Rules (including orders, bye-laws etc. of general character) issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by Central Authorities (other than the Administrations of Union Territories).	679
PART II—SECTION 3.—SUB.-SEC. (ii)—Statutory Orders and Notifications issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Central Authorities (other than the Administrations of Union Territories) . .	1063
PART II—SECTION 4.—Statutory Rules and Orders notified by the Ministry of Defence . .	89
PART III—SECTION 1.—Notifications issued by the Auditor General, Union Public Service Commission, Railway Administration, High Courts and the Attached and Subordinate Offices of the Government of India . .	383
PART III—SECTION 2.—Notifications and Notices issued by the Patent Offices, Calcutta . .	81
PART III—SECTION 3.—Notifications issued by or under the authority of Chief Commissioners	2
PART III—SECTION 4.—Miscellaneous Notifications including Notifications, Orders, Advertisements and Notices issued by Statutory Bodies	87
PART IV—Advertisements and Notices by Private Individuals and Private Bodies . .	5
SUPPLEMENT No. 11—	
Weekly Epidemiological Reports fo rweek ending 4th March, 1972.	41
Births and Deaths from Principal diseases in towns with a population of 30,000 and over in India during week ending 12th February 1972	43

भाग I—खण्ड 1

(PART I—SECTION 1)

रक्षा मंत्रालय को छोड़कर भारत सरकार के मंत्रालयों और उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की गई विधितर नियमों, विनियमों, तथा आदेशों और संकल्पों से सम्बन्धित अधिसूचनाएं

[Notifications relating to Non-Statutory Rules, Regulations, Orders and Resolutions issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Supreme Court]

राष्ट्रपति सचिवालय

नई दिल्ली, दिनांक 22 फरवरी 1972

सं० 33-प्रेज/72—राष्ट्रपति सीमा सुरक्षा दल के निम्नांकित अधिकारी को उनकी वीरता के लिए पुलिस पदक प्रदान करते हैं :—

अधिकारी का नाम तथा पद

श्री उमेद सिंह रावत,
उप कमांडेंट,
सीमा सुरक्षा दल अकादमी ।

2. यह पदक पुलिस पदक नियमावली के नियम 4 (i) के अन्तर्गत वीरता के लिए दिया जा रहा है ।

दिनांक 23 फरवरी 1972

सं० 34-प्रेज/72—राष्ट्रपति मध्य प्रदेश पुलिस के निम्नांकित अधिकारियों को उनकी वीरता के लिए राष्ट्रपति का पुलिस तथा अग्नि शमन सेवा पदक प्रदान करते हैं :—

अधिकारियों के नाम तथा पद

श्री राजेन्द्र जीत खुराना,
पुलिस अधीक्षक,
भिन्ड,
मध्य प्रदेश ।

श्री हरे राम सिंह,
हैड कांस्टेबल सं० 710,
17वीं बटालियन,
विशेष सशस्त्र दल,
भिन्ड,
मध्य प्रदेश ।

सेवाओं का विवरण जिनके लिए पदक प्रदान किया गया ।]

डाकू जगमोहन सिंह ने 1963 में एक गिरोह का गठन किया तथा हत्याएं, डकैतियां व निष्कृति-धन हेतु अपहरण करने लगा । वह मध्य प्रदेश के भिन्ड, मोरैना, ग्वालियर तथा शिवपुरी जिलों और राजस्थान तथा उत्तर प्रदेश के निकटवर्ती क्षेत्रों में सक्रिय था । 31 जुलाई, 1969 की अपराह्न श्री राजेन्द्र जीत खुराना को डाकू जगमोहन सिंह के गिरोह की उपस्थिति के बारे में सूचना मिली । उन्होंने तुरन्त इसकी सूचना पुलिस उप महानिरीक्षक को दी और कार्यवाही की एक योजना बनाई । पुलिस दल को दो मुख्य दलों में बांटा गया तथा उन्हें मोरैना और भिन्ड जिलों को विभाजित करने वाली अगन नदी के दोनों ओर नियुक्त कर दिया गया । फिर नदी के दोनों ओर के पुलिस दलों को छोटी-छोटी टुकड़ियों में बांट दिया गया तथा उन्हे 8-9 व्यक्तियों की टोलियों में आगे बढ़ने और डाकुओं के अनेक बच निकलने के मार्गों तथा अन्य महत्वपूर्ण स्थानों पर 1 अगस्त, 1969 की प्रातः से पहले मोर्चा संभालने का निदेश दिया गया । 1 अगस्त, 1969 को बहुत सवेरे भिन्ड जिले के सुनारीपुरा गांव के निकट नियुक्त की गई पुलिस से डाकुओं की पहली मुठभेड़ हुई । इस मुठभेड़ में पुलिस ने तीन डाकुओं को गोली से मार दिया । इसके पश्चात् डाकुओं ने पूर्व की ओर गांव सोहन्स की दिशा में भाग निकलने का प्रयत्न किया और एक नाले में छिप गये । श्री खुराना ने गांव सोहन्स के निकट पुलिस दल का नेतृत्व स्वयं किया । श्री खुराना के दल के स्काऊट ने नाले में कुछ असामान्य बात देखी और उन्होंने डाकुओं से बाहर निकलने को कहा किन्तु डाकुओं ने पुलिस पर गोली चला दी । श्री खुराना ने भी जवाब में गोली चलाई । फिर वे पुलिस दल के कुछ व्यक्तियों को डाकुओं को लड़ाई में व्यस्त रखने के लिए वहां नियुक्त करने के पश्चात् स्वयं दाईं ओर से डाकुओं पर आक्रमण करने के लिए लगभग 50 गज दूर गए । इस पर डाकू एक तंग घाटी की ओर पीछे हटे और बचकर भाग निकले । श्री खुराना ने अपने दल को संगठित किया तथा खतरे की परवाह न करते हुए तंग घाटियों में डाकुओं का पीछा किया । यदि श्री खुराना ने यह साहस न किया होता तो डाकुओं का गिरोह भाग निकलता ।

यह देखते हुए कि उस दिशा से बचकर भाग निकलना कठिन है, डाकू नदी पार करने के लिए एक अन्य स्थान की ओर मुड़े जो कि लगभग 400 गज दूर था । हैड कांस्टेबल श्री हरे राम सिंह को उस स्थान पर जो गांव भिदोसा के सामने था, मोर्चा संभालने के लिए नियुक्त किया गया था; डाकुओं ने पुलिस के घेरे को तोड़ने का प्रयास किया किन्तु श्री हरे राम सिंह तथा उनके दल के चार कांस्टेबलों ने इतनी फुर्ती तथा दृढ़ संकल्प के साथ जवाब में गोली चलाई कि डाकू पीछे हट गये तथा असन नदी की ओर मुड़े ताकि नदी पार करके दूसरी ओर जा सकें । फिर डाकुओं ने असन नदी पार की । श्री हरे राम सिंह अपनी सुरक्षा की परवाह न करते हुए डाकुओं का पीछा करते रहे । दूसरे किनारे से डाकुओं की गोलियों के कारण नदी का पानी उछल कर आ रहा था किन्तु श्री हरे राम सिंह आगे बढ़ते ही रहे तथा उन्होंने नदी को पार किया ।

इस मुठभेड़ में श्री राजेन्द्र जीत खुराना तथा श्री हरे राम सिंह ने साहस एवं उत्कृष्ट वीरता का परिचय दिया और इस साहसिक कार्य से 17 डाकुओं का सफाया हो गया ।

2. ये पदक राष्ट्रपति के पुलिस तथा अग्नि शमन सेवा पदक नियमावली के नियम 4 (i) के अन्तर्गत वीरता के लिए दिए जा रहे हैं तथा फलस्वरूप श्री हरे राम सिंह को नियम 5 के अन्तर्गत विशेष स्वीकृत भत्ता भी दिनांक 1 अगस्त, 1969 से दिया जाएगा ।

सं० 35-प्रेज/72.—राष्ट्रपति मध्य प्रदेश पुलिस के निम्नांकित अधिकारियों को उनकी वीरता के लिए पुलिस पदक प्रदान करते हैं । :—

अधिकारियों के नाम तथा पद

श्री रामलाल वर्मा,
पुलिस उप अधीक्षक,
जिला मोरैना,
मध्य प्रदेश ।

श्री अरुण कुमार बब्बर,
पुलिस सहायक अधीक्षक,
जिला भिन्ड,
मध्य प्रदेश।

श्री अर्जुन सिंह,
मण्डल पुलिस निरीक्षक,
जिला भिण्ड,
मध्य प्रदेश ।

श्री बल बहादुर ,
प्लाटून कमाण्डर,
5वीं बटालियन,
विशेष सशस्त्र दल,
जिला मोरैना,
मध्य प्रदेश ।

श्री नवाब सिंह,
कम्पनी कमाण्डर,
8वीं बटालियन,
विशेष सशस्त्र दल,
छिन्दवाड़ा,
मध्य प्रदेश ।

श्री पहलवान सिंह,
कम्पनी कमाण्डर,
8वीं बटालियन,
विशेष सशस्त्र दल,
मध्य प्रदेश ।

श्री इन्द्र बहादुर श्रीवास्तव,
पुलिस उप निरीक्षक,
थाना पोर्सा,
जिला मोरैना,
मध्य प्रदेश ।

श्री रंग बहादुर यादव,
पुलिस उप निरीक्षक,
थाना अधिकारी,
थाना सिहोनिया,
जिला मोरैना,
मध्य प्रदेश ।

श्री करनैल सिंह,
प्लाटून कमाण्डर,
8वीं बटालियन,
विशेष सशस्त्र दल,
मध्य प्रदेश ।

श्री किंदर सिंह,
कांस्टेबल सं० 660,
8वीं बटालियन,
विशेष सशस्त्र दल,
जिला छिंदवाड़ा,
मध्य प्रदेश ।

श्री सहदेव सिंह,
कांस्टेबल सं० 630,
8वीं बटालियन,
विशेष सशस्त्र दल,
जिला छिंदवाड़ा,
मध्य प्रदेश ।

श्री करन सिंह,
कांस्टेबल सं० 735,
8 वीं बटालियन,
विशेष सशस्त्र दल,
छिंदवाड़ा,
जिला मोरैना,
मध्य प्रदेश ।

सेवाओं का विवरण जिसके लिए पदक प्रदान किया गया ।

1963 में डाकू जगमोहन सिंह ने एक गिरोह का गठन किया तथा हत्याएं, डकैतियां व निष्कृति-धन हेतु अपहरण करने लगा । 31 जुलाई 1969 को डाकू जगमोहन सिंह के गिरोह की उपस्थिति के बारे में पुलिस अधीक्षक, भिण्ड को सूचना मिली । डाकुओं के विरुद्ध कार्यवाही करने के लिए पुलिस ने एक योजना बनाई जिसके अनुसार असन नदी के दोनों ओर मोरैना तथा भिण्ड जिलों में तंग घाटियों तथा अन्य महत्वपूर्ण स्थानों में से डाकुओं के भाग निकलने को रोकने तथा उन्हें ढूंढ निकालने और खदेड़ने के लिए पुलिस के दल नियुक्त किये गये । पुलिस को दो मुख्य दलों में बांट दिया गया जो फिर आगे छोटी-छोटी टुकड़ियों में बंट गई । 31 जुलाई की रात को इन टुकड़ियों को आगे बढ़ने का आदेश दिया गया ताकि 1 अगस्त, 1969 की प्रातः से पहले-पहले वे अपने-अपने मोर्चे संभाल लें । डाकुओं के साथ पुलिस की कई मुठभेड़ें हुईं । पहली मुठभेड़ में, जो भिण्ड जिले के गांव सुनारीपुरा के निकट हुई, तीन डाकुओं को मार डाला । दूसरी मुठभेड़ गांव सोहन्स के समीप, तथा फिर गांव भिदोसा के सामने हुई । तत्पश्चात् डाकुओं ने असन नदी को पार किया तथा मोरैना जिले में प्रवेश किया । पुलिस उनका पीछा करती रही । मोरैना में भी डाकुओं से कई मुठभेड़ें हुईं । पहली मुठभेड़ नदी पार करने के तुरन्त बाद गांव भिदोसा के निकट हुई । दूसरी मुठभेड़ एक टीले के पास तथा उसके बाद एक सूखी नहर के पास हुई । अन्तिम मुठभेड़ एक खेत के निकट हुई जहां पुलिस ने उन्हें कई ओर से घेर लिया और मार डाला ।

पहली मुठभेड़ में जब श्री अरुण कुमार बब्बर, श्री अर्जुन सिंह तथा श्री बल बहादुर के नेतृत्व में एक दल सुनारीपुरा गांव के समीप

घंग घाटियों की ओर जा रहा था तो उनपर डाकुओं ने गोली चलाई। सामने से डाकुओं पर आक्रमण करने के लिए श्री बब्बर ने श्री बल बहादुर को कहा और श्री अर्जुन सिंह तथा वह स्वयं बगल से आगे बढ़े। श्री बब्बर अपने जीवन के लिए गम्भीर खतरे की परवाह न करते हुए खुले में आगे बढ़ते रहे तथा अपने जवानों को प्रोत्साहित करते रहे। बाद में जब डाकुओं ने असन नदी को पार कर लिया तो श्री बब्बर ने नदी पार करके उनका पीछा किया। डाकुओं द्वारा चलाई गई गोलियों से सब ओर से पानी उछल रहा था किन्तु श्री बब्बर डाकुओं की गोलाबारी से विचलित न हो कर अपने दल का नेतृत्व करते रहे। बाद में जब डाकुओं ने असन नदी पार करके गांव भिदोसा के निकट शरण ली तो श्री बब्बर एक छत पर चढ़ गये तथा उन्होंने अपने दल के सदस्यों को पीछे-पीछे आने के लिए कहा। श्री अर्जुन सिंह को गांव सोहन्स के निकट नियुक्त किया गया था। तंग घाटियों में खोज करते समय उन पर डाकुओं ने बहुत समीप से गोली चलाई किन्तु खतरे की परवाह न करते हुए उन्होंने अपने दल को पुनः संगठित किया और डाकुओं पर आक्रमण कर दिया। मुठभेड़ में दो डाकू मारे गये तथा शेष डाकुओं को भागने, और असन नदी पार करके मोरैना की ओर भागने के लिए मजबूर किया जहां कि पुलिस उनके लिए घात लगाये बैठी थी।

कम्पनी कमाण्डर श्री नवाब सिंह को असन नदी के तट के साथ के क्षेत्र में खोज करने के लिए मोरैना में खड़गपुर की तंग घाटियों में नियुक्त किया गया था। जब डाकुओं ने नदी पार करके मोरैना की ओर प्रवेश किया तो श्री नवाब सिंह ने डाकुओं का पीछा करने के लिए पुलिस दल को तीन टुकड़ियों में बांट दिया। इनमें से एक टुकड़ी की कमान श्री नवाब सिंह ने स्वयं सम्भाली, दूसरी की उप-निरीक्षक श्री रंग बहादुर यादव ने तथा श्री इन्द्र बहादुर श्रीवास्तव ने तीसरी टुकड़ी का नेतृत्व संभाला। श्री नवाब सिंह की टुकड़ी बीच में थी जबकि श्री रंग बहादुर यादव तथा श्री इन्द्र बहादुर श्रीवास्तव की टुकड़ियों क्रमशः बांई एवं दाईं ओर थी। जब उन्होंने देखा कि डाकुओं ने असन नदी पार कर ली और पुलिस के साथ मुठभेड़ के बाद गांव लीपा की ओर जाने लगे हैं तो श्री नवाब सिंह पुलिस की तीनों टुकड़ियों के साथ शीघ्र उनकी ओर बढ़े। श्री इन्द्र बहादुर श्रीवास्तव ने गोली चलाते हुए लभभग एक मील तक डाकुओं का पीछा किया। एक बार तो उन्हें ऐसा लगा कि डाकू गांव लीपा से परे असन नदी की तंग घाटियों की ओर बढ़ेंगे। दक्षिण पूर्वी तंग घाटियों में डाकुओं के बच निकलने से रोकने हेतु उन्होंने तुरन्त श्री सहदेव सिंह को दो अन्य कांस्टेबलों के साथ मोर्चा संभालने के लिए भेज दिया। श्री सहदेव सिंह खतरे की परवाह न करते हुए खुले स्थान से होते हुए तंग घाटियों के प्रवेश-स्थान पर पहुंचे और उन्होंने डाकुओं को तंग घाटियों से भाग निकलने से रोका। श्री सहदेव सिंह द्वारा दिखाई गई वीरता तथा उनकी भारी गोलाबारी के कारण ही डाकुओं ने अपना मार्ग बदला।

इसके पश्चात् गिरोह एक टीले की ओर मुड़ा। श्री रंग बहादुर यादव तथा लाईट मशीन गन के चालक श्री करन सिंह टीले के दक्षिण पूर्व की ओर मोर्चा संभालने के लिए कोई 500 गज तक दौड़ते रहे। डाकुओं के गिरोह ने पुलिस दल पर गोली चला कर उसे आगे बढ़ने से रोकने का प्रयत्न किया किन्तु पुलिस दल विचलित नहीं हुआ तथा उसने डाकुओं को निर्जन गांव में घुसने से रोक दिया।

तंग घाटियों की ओर भाग निकलने का मार्ग रुक जाने के बाद डाकुओं ने अपना मार्ग बदल लिया तथा वे सूखी नहर की ओर बढ़े। डाकुओं को उस ओर से भागने से रोकने के लिए कम्पनी कमाण्डर श्री पहलवान सिंह को नहर पर नियुक्त किया गया। उन्होंने तुरन्त अपने दल को दो टुकड़ियों में विभाजित किया और डाकुओं की ओर बढ़े। यद्यपि डाकुओं की संख्या पुलिस दल की तुलना में अधिक थी तथापि पुलिस दल अपने मोर्चे पर वीरता से डटा रहा और उस ओर से पुलिस के घेरे को तोड़ने के डाकुओं के प्रयत्न को विफल कर दिया। डाकुओं को पीछे हटने तथा उन्हें उल्टी दिशा में भागने के लिए उन्होंने बाध्य कर दिया। श्री पहलवान सिंह, भागते हुए डाकुओं का पीछा करते रहे तथा डाकुओं पर किए गए अन्तिम आक्रमण का नेतृत्व भी उन्होंने किया। मुठभेड़ में श्री पहलवान सिंह ने पहल-कदमी तथा वीरता का परिचय दिया। लाईट मशीन गन चालक श्री किंदर सिंह डाकुओं को नहर तक बढ़ने से रोकने के लिए मोर्चा सम्भालने हेतु खुले मैदान में लगभग 800 गज की दूरी तक भागते रहे। अपने नियत स्थान तक तुरन्त पहुंचने में उन्होंने उत्कृष्ट वीरता एवं साहस का परिचय दिया। बढ़ते हुए डाकुओं की ओर बिना किसी ओट के खुले मैदान से जाने में भी उन्होंने असाधारण वीरता का परिचय दिया। श्री किंदर सिंह ने डाकुओं पर अन्तिम आक्रमण में भी अपने दल का नेतृत्व किया।

जब डाकुओं के भाग निकलने के सभी प्रयास विफल कर दिये गये और विभिन्न पुलिस दल सब ओर से उनकी ओर बढ़ रहे थे तो भाग कर गिरोह को सामने से घेरने के लिए श्री करनैल सिंह को कहा गया। श्री करनैल सिंह ने खतरे की परवाह न करते हुए लाईट मशीन गन से स्वयं गोली चलाते हुए डाकुओं का रास्ता बन्द कर दिया। जब डाकुओं ने असन नदी पार कर ली तो श्री राम लाल वर्मा ने अपनी सुरक्षा की परवाह न करते हुए मोरैना की ओर असन नदी के किनारे नियुक्त विभिन्न पुलिस दलों से सम्पर्क स्थापित किया। उन्होंने इन दलों की इस प्रकार नियुक्ति की कि डाकुओं के भाग निकलने के सारे रास्ते बन्द कर दिए।

पूर्ण कार्यवाही में जो लगभग तीन घंटे चली, उन्होंने डाकुओं के विरुद्ध 12 मुठभेड़ों का आयोजन किया। श्री वर्मा ने डाकुओं की भाग निकलने के अन्तिम प्रयास को भी विफल कर दिया।

डाकू जगमोहन सिंह के गिरोह के साथ हुई मुठभेड़ों में उपरोक्त सभी पुलिस अधिकारियों ने उत्कृष्ट वीरता का परिचय दिया और गिरोह के नेता सहित 17 डाकुओं का सफाया कर दिया।

2. ये पदक पुलिस पदक नियमावली के नियम 4(i) के अन्तर्गत वीरता के लिए दिए जा रहे हैं तथा फलस्वरूप सर्वश्री अर्जुन सिंह, बल बहादुर, नवाब सिंह, पहलवान सिंह, इन्द्र बहादुर श्रीवास्तव, रंग बहादुर यादव, करनैल सिंह, किंदर सिंह, सहदेव सिंह तथा करन सिंह को नियम 5 के अन्तर्गत विशेष स्वीकृत भत्ता भी दिनांक 1 अगस्त, 1969 से दिया जाएगा।

सं० 36-पेज/72—राष्ट्रपति जम्मू व कश्मीर पुलिस के निम्नांकित अधिकारियों को उनकी वीरता के लिए पुलिस पदक प्रदान करते हैं:—

अधिकारियों के नाम तथा पद

पीर गुलाम हसन शाह,
पुलिस उप-महानिरीक्षक,
जम्मू व कश्मीर।

श्री अली मुहम्मद वातली,
उप-पुलिस अधीक्षक,
जम्मू व कश्मीर।

श्री अब्दुल रशीद मीर,
पुलिस उप-अधीक्षक,
जम्मू व काश्मीर।

सेवाओं का विवरण जिनके लिए पदक प्रदान किया गया

1969 वर्ष में पुलिस को सूचना मिली कि कुछ व्यक्ति तथा संगठन कश्मीर घाटी में तोड़-फोड़ की गतिविधियों में व्यस्त हैं। जनवरी, 1971 में हजरतबल में एक बैंक में डाका डाला गया। पीर गुलाम हसन शाह को विशेषरूप से इस डकैती का पता लगाने के लिए नियुक्त किया गया। जांच के पश्चात् पुलिस को पता लगा कि डकैत गिरोह के सदस्य जिला अनन्तनाग से गांव बारसू के एक मकान में रह रहे हैं। उक्त मकान से बचकर भाग जाने के कई रास्ते थे। 16 जनवरी, 1971 की प्रातः पीर गुलाम हसन शाह ने गिरोह के निभृत स्थान पर छापा मारने का निश्चय किया। पीर गुलाम हसन शाह के नेतृत्व में एक पुलिस दल ने, जिसमें अन्य सदस्यों के साथ श्री अली मुहम्मद वातली और श्री अब्दुल रशीद मीर भी थे, गिरोह के निभृत स्थान को घेर लिया। पीर गुलाम हसन शाह, श्री अली मुहम्मद वातली और श्री अब्दुल रशीद मीर सामने से मकान की ओर बढ़े। उन्होंने मकान के मुख्य द्वारा को बलपूर्वक खोल दिया। गिरोह के व्यक्तियों ने उन्हें देख लिया और उन पर गोली चलाई। इन तीनों अधिकारियों ने भी जवाब में गोली चलाई और वे अपनी व्यक्तिगत सुरक्षा की परवाह किये बिना मकान में घुस गये। गिरोह के सदस्यों ने पुलिस को आत्मसमर्पण कर दिया।

पीर गुलाम हसन शाह, श्री अली मुहम्मद वातली और श्री अब्दुल रशीद मीर ने उक्त घटना में उत्कृष्ट साहस का परिचय दिया।

2. ये पदक पुलिस पदक नियमावली के नियम 4(i) के अन्तर्गत वीरता के लिए दिए जा रहे हैं तथा फलस्वरूप श्री अली मुहम्मद वातली और श्री अब्दुल रशीद मीर को नियम 5 के अन्तर्गत विशेष स्वीकृत भत्ता भी दिनांक 16 जनवरी, 1971 से दिया जाएगा।

दिनांक 24 फरवरी 1972

सं० 37-प्रेज/72—राष्ट्रपति कलकत्ता पुलिस के निम्नांकित अधिकारी को उसकी वीरता के लिए पुलिस पदक प्रदान करते हैं :—

अधिकारी का नाम तथा पद

श्री संतोष कुमार बोस,
सारजेंट,
भवानीपुर पुलिस थाना,
कलकत्ता,
पश्चिमी बंगाल।

सेवाओं का विवरण जिनके लिए पदक प्रदान किया गया

15 अगस्त, 1970 की सन्ध्या को काली घाट रोड, कलकत्ता में समाज विरोधी तत्वों के दो विरोधी दलों के बीच एक भीषण संघर्ष हुआ। लड़ने वाले दलों द्वारा सड़क की बत्तियां बुझा दी गईं और अति विस्फोटक बमों, तेजाबी बल्बों और पाइप गनों का खुला प्रयोग किया गया। सूचना मिलने पर श्री संतोष कुमार बोस एक छोटे पुलिस दल के साथ तत्काल घटना स्थल की ओर गये। पुलिस दल के पहुंचने पर लड़ने वाले दोनों दलों ने उस पर आक्रमण कर दिया। यद्यपि हिंसक भीड़ ने पुलिस दल को घेर लिया परन्तु श्री बोस विचलित नहीं हुए और आक्रमणकारियों के साथ जम कर लड़ते रहे। उन्होंने आक्रमणकारियों पर गोली चलाई जिसके परिणामस्वरूप एक कुख्यात गुण्डा मारा गया। वह स्वयं इस मुठभेड़ में जख्मी हुए किन्तु उन्होंने साहस नहीं छोड़ा तथा आक्रमणकारियों को तितर-बितर कर दिया।

17 सितम्बर, 1970 की सन्ध्या को एक अन्य घटना में, बोस ने एक पुलिस दल के साथ कालीघाट पुलिस थाने पर कुछ उग्रवादियों द्वारा किए गए आक्रमण को विफल कर दिया और संतरियों व पुलिस कर्मचारियों को घायल होने से बचाया। उन्होंने सरकारी संपत्ति को भी क्षति से बचाया।

उक्त दोनों घटनाओं में श्री संतोष कुमार बोस ने महान साहस, दृढ़ संकल्प तथा कर्त्तव्य-निष्ठा का परिचय दिया।

2. यह पदक पुलिस पदक नियमावली के नियम 4(i) के अन्तर्गत वीरता के लिए दिया जा रहा है तथा फलस्वरूप नियम 5 के अन्तर्गत विशेष स्वीकृत भत्ता भी दिनांक 17 सितम्बर, 1970 से दिया जाएगा।

सं० 38-प्रेज/72—राष्ट्रपति मध्य प्रदेश पुलिस के निम्नांकित अधिकारी को उसकी वीरता के लिए राष्ट्रपति का पुलिस तथा अग्नि शमन सेवा पदक प्रदान करते हैं :—

अधिकारी का नाम तथा पद

श्री वेद प्रकाश खन्ना,
पुलिस अधीक्षक,
शिवपुरी,
मध्य प्रदेश।

सेवाओं का विवरण जिनके लिए पदक प्रदान किया गया

दिसम्बर, 1969 में डाकू सूरत सिंह की मृत्यु के पश्चात् उसके गिरोह का नेतृत्व डाकू नवला सेहरिया ने संभाला, तथा

शिवपुरी एवं गुना आदि जिलों में आतंक फैला दिया। 24 मार्च, 1970 को श्री देव प्रकाश खन्ना को सूचना मिली कि नवला सेहरिया का गिरोह शिवपुरी से लगभग 40 मील दूर मदनपुर गांव के निकट से जा रहा है। श्री खन्ना ने उपलब्ध पुलिस दल को एकत्रित किया और रात्रि में मदनपुर के जंगलों में पहुंच गए। वहां पहुंचने पर उन्हें पता चला कि गिरोह लगभग 4 मील दूर स्थित गांव झदेल के एक मकान के बरामदे में है। श्री खन्ना ने पुलिस दल को चार टुकड़ियों में विभाजित किया और डाकू के छिपने के स्थान के चारों ओर घेरा डाल दिया। जब पुलिस दल निभृत स्थान के समीप पहुंचा तो गिरोह के पहरेदार ने पुलिस को देखा और उस पर गोली चलाई। गिरोह के नेता नवला सेहरिया ने पास के जंगलों में बच भागने का हताश प्रयत्न किया। किन्तु श्री खन्ना ने डाकू नवला सेहरिया का पीछा किया और जब डाकूओं का नेता उनकी गोली के मार की पहुंच में आया तो उन्होंने शीघ्र निशाना लिया और डाकू को मौत के घाट उतार दिया।

इस मुठभेड़ में श्री देव प्रकाश खन्ना ने असाधारण नेतृत्व और साहस का परिचय दिया। उन्होंने डाकू का पीछा करने और उसे मार डालने में उत्कृष्ट वीरता का परिचय दिया।

2. यह पदक राष्ट्रपति के पुलिस तथा अग्नि शमन सेवा पदक नियमावली के नियम 4(i) के अन्तर्गत वीरता के लिए दिया जा रहा है।

सं० 39-प्रेज/72—राष्ट्रपति मध्य प्रदेश पुलिस के निम्नांकित अधिकारियों को उनकी वीरता के लिए पुलिस पदक प्रदान करते हैं :—

अधिकारियों के नाम तथा पद

श्री हाकिम सिंह,
हैड कास्टेबल सं० 342,
शिवपुरी,
मध्य प्रदेश।

श्री हमीर सिंह,
हैड कास्टेबल,
1ली बटालियन, एस० ए० एफ०,
इन्दौर,
मध्य प्रदेश।

श्री हेतराम,
हैड कास्टेबल,
1ली बटालियन, एस० ए० एफ०,
इन्दौर,
मध्य प्रदेश।

सेवाओं का विवरण जिसके लिए पदक प्रदान किया गया।

दिसम्बर, 1969 में डाकू सूरत सिंह की मृत्यु के पश्चात् गिरोह का नेतृत्व डाकू नवला सहेरिया ने संभाला तथा शिवपुरी एवं गुना आदि जिलों में आतंक फैला दिया। शिवपुरी से लगभग 40 मील दूर गांव मदनपुर के पास डाकू नवला सहेरिया के अपने गिरोह के अन्य सदस्यों के साथ उपस्थिति की 24 मार्च 1970 को पुलिस अधीक्षक को सूचना मिली। थाने में उपलब्ध पुलिस दल को एकत्र किया गया और डाकू के छिपने के स्थान पर आक्रमण किया गया। श्री हाकिम सिंह, श्री हमीर सिंह और श्री हेतराम उस टुकड़ी के सदस्य थे जिसे डाकुओं पर आक्रमण करने के लिये चुना गया था। वे सभी गांव मदनपुर में रात को पहुंचे और डाकूओं के निभृत स्थान के समीप उन्होंने मोर्चा संभाला। श्री हेतराम श्री हमीर सिंह टी० एम० सी० से लैस थे और पुलिस दल के स्काऊट थे। श्री हाकिम सिंह भी इसी टुकड़ी के सदस्य थे। वे धीरे-धीरे रेंग कर मकान के बरामदे तक गये। श्री हेतराम ने मकान के अन्दर झांकने का प्रयत्न किया किन्तु एक डाकू ने 12 बोर की बन्दूक से उस पर गोली चला दी। तीनों कांस्टेबलों ने भी अपनी टी० एम० सी० और राइफल से गोलियां चलाई। उन्होंने डाकूओं पर अनेक आक्रमण किए। डाकूओं ने उन पर भारी गोलाबारी की किन्तु वे अवचलित रहे। इस मुठभेड़ में उन्होंने सात डाकूओं को गोली से मार दिया।

उपरोक्त अधिकारियों ने साहस तथा उत्कृष्ट वीरता का परिचय दिया। वे अपनी निजी सुरक्षा की बिल्कुल परवाह न करते हुए सामने डटे रहे और डाकूओं द्वारा घेरे को तोड़ने तथा जंगल में बचकर भागने के लिए किए गए प्रयत्नों को विफल कर दिया।

2. ये पदक पुलिस पदक नियमावली के नियम 4(i) के अन्तर्गत वीरता के लिए दिए जा रहे हैं तथा फलस्वरूप नियम 5 के अन्तर्गत विशेष स्वीकृत भत्ता भी दिनांक 24 मार्च, 1970 से दिया जाएगा।

नागेन्द्र सिंह
राष्ट्रपति के सचिव

विधि और न्याय मंत्रालय

(विधायी विभाग)

पत्रिका पक्ष

नई दिल्ली दिनांक 24 फरवरी 1972

संकल्प

सं० एफ० 22/4/69-जे० एल० (एडमिन०)—हिन्दी में मानक विधि पुस्तकों के लेखन, अनुवाद और प्रकाशन की स्कीम के सम्बन्ध में भारत सरकार, विधि और न्याय मंत्रालय, विधायी विभाग, के संकल्प संख्या एफ० 22/4/69-जे० एल० (एडमिन०) दिनांक 10 फरवरी 1972 के पैरा 3 के अनुसरण में निम्नलिखित व्यक्तियों को मूल्यांकन समिति के अध्यक्ष/सदस्यों के रूप में उक्त स्कीम के कारगर अनुपालन के लिए भारत सरकार, विधि और न्याय मंत्रालय, विधायी विभाग को सलाह देने के लिए मनोनीत किया जाता है :—

1. श्री एस० सी० मिश्र,
अध्यक्ष, राजभाषा (विधायी) आयोग,
(पटना उच्च न्यायालय के सेवा निवृत्त मुख्य न्यायाधिपति),
नई दिल्ली। अध्यक्ष

2. श्री एन० डी० पी० नम्पूतिरिपाड,
संयुक्त सचिव और विधायी परामर्शदाता,
इस समय विधायी विभाग, विधि और न्याय मंत्रालय, नई दिल्ली के सचिव के कर्तव्यों का भारसाधन कर रहे हैं। सदस्य (पदेन)

3. श्री जी० एन० दीक्षित,
वरिष्ठ अधिवक्ता,
भारत का उच्चतम न्यायालय,
नई दिल्ली। सदस्य

4. श्री आर० जी० त्रिवेदी,
सदस्य,
राजभाषा (विधायी) आयोग,
नई दिल्ली। सदस्य

5. श्री जी० एस० शर्मा,
डीन, फैकल्टी आफ ला,
राजस्थान विश्वविद्यालय,
जयपुर। सदस्य

6. डा० पी० एल० श्रीवास्तव,
अध्यक्ष,
विधि विभाग,
गवर्नमेंट हमीदिया कालेज,
भोपाल। सदस्य

7. डा० बी० एन० श्रीवास्तव,
डीन,
फैकल्टी आफ ला,
पटना विश्वविद्यालय,
पटना। सदस्य

8. प्रोफैसर एल० एन० टंडन,
डीन,
फैकल्टी आफ ला,
लखनऊ विश्वविद्यालय,
लखनऊ। सदस्य

9. डा० आनन्द जी,
डीन,
फैकल्टी आफ ला,
बनारस हिन्दु विश्वविद्यालय,
वाराणसी। सदस्य

10. डा० एस० एन० जैन,
कार्यकारी निदेशक,
इंडियन ला इंस्टीट्यूट, सदस्य
नई दिल्ली। (पदेन)

11. डा० मोती बाबू,
अपर पारूपकार,
राजभाषा (विधायी) आयोग, और
सचिव, हिन्दी सलाहकार समिति,
विधि और न्याय मंत्रालय, सदस्य संयोजक
नई दिल्ली। (पदेन)

एन० के० सेठ, अवर सचिव

वित्त मंत्रालय

(आर्थिक कार्य विभाग)

नई दिल्ली, दिनांक 21 फरवरी 1972

सं० एफ० 8(15)-एन० एस०/71—संसद् के निम्नलिखित सदस्य, भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (आर्थिक कार्य विभाग) के संकल्प सं० एफ० 8(15)-एन. एस० दिनांक 28 जनवरी 1972 में घोषित पुनर्गठित राष्ट्रीय बचत केन्द्रीय सलाहकार बोर्ड के सदस्य नियुक्त किये गए हैं :—

1. श्री जितेन्द्र प्रसाद,
संसद सदस्य (लोक सभा),
सी० 1/30, पंडारा पार्क,
नई दिल्ली।

2. श्री कल्याण चन्द्र,
संसद् सदस्य (लोक सभा),
62, साउथ एवेन्यू,
नई दिल्ली-11।

3. श्री महादीपक सिंह शाक्य,
संसद् सदस्य (लोक सभा),
160, साउथ एवेन्यू,
नई दिल्ली-11।

4. श्रीमती सहोद्राभाई राय,
संसद् सदस्य (लोक सभा),
148, नार्थ एवेन्यू,
नई दिल्ली-1।

ए० वी० श्रीनिवासन, अवर सचिव

नई दिल्ली, दिनांक 25 फरवरी 1972

सं० एफ० 5(15)-डब्ल्यू० एण्ड एम०/71—जयन्ती शिपिंग कम्पनी (शेयरों का अभिग्रहण) अधिनियम, 1971 (1971 के चौदहवें अधिनयम) की धारा 4 के उपबन्धों के अनुसार, भारत सरकार एतद् द्वारा यह अधिसूचित करती है कि जयन्ती शिपिंग कम्पनी लिमिटेड के शेयर होल्डरों को मुआवजे की अदायगी करने के लिए 4½ प्रतिशत ब्याज वाले जन्यती शिपिंग कम्पनी (शेयरों का अभिग्रहण) बांड, 1981 जारी किये जायेंगे।

1. निर्गम की राशि—ऋण की कुल राशि का निर्धारण, भारत सरकार, जयन्ती शिपिंग कम्पनी शेयरों (का अभिग्रहण) अधिनियम, 1971 की धारा 4 की उपधारा (2) और (5) के अनुसार, जयन्ती शिपिंग कम्पनी लिमिटेड के शेयर होल्डरों द्वारा दिए गए विकल्पों या दिए मान लिए गए विकल्पों के आधार पर करेगी।

100.00 रुपये प्रतिशत पर जारी किये जाने वाले और 17 अक्तूबर 1981 को सम-मूल्य पर चुकाये जाने वाले 4½ प्रतिशत ब्याज वाले जयन्ती शिपिंग कम्पनी (शेयरों का अभिग्रहण) क्षतिपूर्ति बांड, 1981।

2. निर्गम की तारीख—ये बांड पहले की तारीख अर्थात् 17 अक्तूबर 1971 से जारी किये जायेंगे।

3. शोधन की तारीख—ये बांड, 17 अक्तूबर 1981 को सम-मूल्य पर चुका दिये जायेंगे।

4. निर्गम मूल्य—निर्गम मूल्य प्रत्येक सौ रुपये (अंकित मूल्य) के लिए सौ रुपये होगा।

5. ब्याज—इन बांडों पर पहले की तारीख अर्थात् 17 अक्तूबर 1971 से 4-1/2 प्रतिशत की वार्षिक दर से ब्याज दिया जायगा। ब्याज की राशि हर छः महीने के बाद अर्थात् 17 अप्रैल और 17 अक्तूबर को अदा की जायगी और उस पर नीचे के पैरा 6 और 7 के उपबन्धों के अनुसार आयकर अधिनियम 1961 के अन्तर्गत आयकर लगेगा।

6. स्रोत पर काटे जाने वाले कर की वापसी या कर की कटौती न करना—ब्याज की अदायगी के समय वार्षिक वित्त अधिनियमों द्वारा निर्धारित दरों के अनुसार काटी गयी कर की रकम, ऋण देने वाले वे व्यक्ति, जिन पर कर न लगता हो, पूर्णतः और वे व्यक्ति, जिन पर उस दर से कम दर पर कर लगता हो, जिसके अनुसार कर काटा गया हो, अंशतः वापस ले सकेंगे। ऋण देने वाला वह व्यक्ति, जिस पर कर न लगता हो या जिस पर निर्धारित दर से कम दर पर कर लगता हो, अपने जिले के आयकर-अधिकारी को आवेदन-पत्र देकर उससे ऐसा प्रमाण-पत्र प्राप्त कर सकता है जिसके अनुसार उसे कर काटे बिना, या उस कम दर से कर काटने के बाद, जो उस पर लागू होती है, ब्याज मिल सकता है।

7. सरकारी प्रतिभूतियों पर प्राप्त ब्याज पर तथा अन्य अनुमत निवेशों पर ब्याज या लाभांशों के रूप में होने वाली आय पर आयकर नहीं लगेगा किन्तु इस प्रकार की वार्षिक आय की सीमा 3,000 रुपये होगी और इस पर आयकर अधिनियम 1961 की धारा 80-ढ़ के अन्य उपबन्ध लागू होंगे।

अब जारी किये गये बांडों में लगाई गई रकमों और सरकारी प्रतिभूतियों में किये गये पहले के अन्य निवेशों तथा सम्पत्ति कर अधिनियम की धारा 5 में निर्दिष्ट निवेशों की कुल 1,50,000 रुपये तक की राशि पर सम्पत्ति कर नहीं लगेगा।

8. ये प्रतिभूतियां निम्नलिखित रूपों में जारी की जायंगीं।:—

(i) स्टाक के रूप में, जिसके लिए आवेदकों को स्टाक जमापत्र दिये जायगे।

(ii) बचन पात्र (प्रामिसरी नोट)।

यदि आवेदक अपनी पसंद जाहिर नही करेंगे तो ये प्रतिभूतियां बचनपत्रों के रूप में जारी की जायंगीं।

9. ब्याज की अदायगी का स्थान—इस ऋण का ब्याज, भारतीय रिजर्व बैंक के अहमदाबाद, बंगलौर, बम्बई, कलकत्ता हैदराबाद, जयपुर, कानपुर, मद्रास, नागपुर, नई दिल्ली और पटना में स्थित सरकारी ऋण कार्यालयों में; जम्मू और कश्मीर राज्य को छोड़ कर, भारत के अन्य स्थानों में किसी राजकोष या उप-राजकोष में तथा केन्द्रीय सरकार के, जम्मू और श्रीनगर में स्थित वेतन और लेखा कार्यालयों में चुकाया जायेगा।

10. इस सम्बन्ध में और जानकारी भारतीय रिजर्व बैंक लेखा और व्यय विभाग, केन्द्रीय ऋण अनुभाग, बम्बई से प्राप्त की जा सकती है।

बी० मैत्रेयन, संयुक्त सचिव

(व्यय विभाग)

नई दिल्ली, दिनांक 24 फरवरी 1972

संकल्प

सं० पी०-एफ०/आर०-9(5)/72—भारत सरकार ने, कृषि सम्पत्ति और आय पर कर लगाने के प्रश्न पर सभी पहलुओं से जांच करने के लिए कृषि सम्पत्ति और आय कराधान समिति नाम से एक समिति नियुक्त करने का निर्णय किया है। समिति में निम्नलिखित व्यक्ति होंगें :—

1. डा०के०एन० राज, अध्यक्ष
विकास अध्ययन केन्द्र,
त्रिवेन्द्रम।

2. प्रो० वी० एम० दांडेकर, सदस्य
निदेशक,
गोखले राजनीति और अर्थशास्त्र संस्थान,
पूना।

3. श्री जी० एस० कालकट, सदस्य
कृषि निदेशक,
पंजाब सरकार,
चण्डीगढ़।

4. श्री अनवर करीम, सदस्य
आयुक्त व सचिव,
वित्त विभाग,
बिहार सरकार,
पटना।

5. प्रो० धर्म नारायण, सदस्य
अध्यक्ष,
कृषि मूल्य आयोग,
नई दिल्ली।

6. श्री एम० वी० पालेकर, सदस्य
सदस्य,
केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड,
वित्त मंत्रालय,
नई दिल्ली।

7. डा० ए० वैद्यनाथन, सदस्य
निदेशक,
भावी योजना प्रभाग,
योजना आयोग,
नई दिल्ली।

8. श्री बी० पी० आर० विट्ठल, सदस्य
सचिव,
योजना विभाग,
आंध्र प्रदेश सरकार,
हैदराबाद।

समिति के विचारणीय विषय निम्नलिखित होंगे :—

(क) कृषि सम्पत्ति और आय (जिसमें पूंजीगत लाभ शामिल हैं) पर प्रत्यक्ष कर लगाने की मौजूदा प्रणाली की जांच करना और ऐसे तरीके सुझाना जिससे इस प्रकार के कराधान का प्रयोग, विकास के लिए अतिरिक्त साधन जुटाने और आत्म-निर्भरता के लक्ष्य को पूरा करने में सहायता प्रदान करने के लिए अधिक प्रभावकारी ढंग से किया जा सके ;

(ख) विशिष्ठ रूप से ऐसे अर्थोपायों की सिफारिश करना जिनसे कृषि सम्पत्ति और आय पर लगाये जाने वाले कर का इस प्रकार उपयोग हो सके कि जिससे आर्थिक विषमता कम हो और भूमि तथा श्रम के उपलब्ध साधनों के अधिक कुशल उपयोग में वृद्धि हो।

(ग) इन करों के निर्धारण, संग्रहण और वितरण की प्रणाली में आवश्यक परिवर्तन करने के संबंध में इस प्रकार विस्तृत जांच और सिफारिश करना कि जिससे इस तरह के कराधान से राज्यों को उपलब्ध साधनों को, किसी भी राज्य के अधिकारों और समुचित हितों को हानि पहुंचाए बिना, अधिक से अधिक बढ़ाया जा सके।

(घ) सामान्य रूप से सम्पत्ति और आय की कराधान प्रणाली में इस के परिणामस्वरूप यदि कोई परिवर्तन किये जाने हों तो उस के बारे में सुझाव देना, और

(ङ) सम्बंधित विषयों पर यदि कोई सुझाव हों तो उन्हें इंगित करना और देना।

3. समिति अपने कार्य के लिए अपनी निजी कार्य-पद्धति बनायेगी। वित्त मंत्रालय का योजना वित्त प्रभाग समिति के लिए सचिवालय की व्यवस्था करेगा।

4. समिति 30 सितम्बर 1972 तक भारत सरकार को अपनी सिफारिशें प्रस्तुत कर देगी।

आदेश

आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को सामान्य सूचना के लिए भारत सरकार के राजपत्र में प्रकाशित कर दिया जाए और इसकी प्रतियां समिति के अध्यक्ष और सदस्यों, भारत सरकार के सभी मंत्रालयों तथा सभी राज्य सरकारों और संघीय क्षेत्रों की सरकारों को भेज दी जाएं।

भैरव दत्त पांडे, सचिव

औद्योगिक विकास मंत्रालय
(औद्योगिक विकास विभाग)

नई दिल्ली, दिनांक 18 फरवरी 1972

संकल्प

सं० 11 (2)/71-ई० ई० आई०:—इस मंत्रालय के इसी संख्या वाले संकल्प दिनांक 24 नवम्बर, 1971 को जारी रखते हुए, केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा श्री एस० के० घोष, उप निदेशक (धातुकर्मीय), लघु उद्योग सेवा संस्थान, ओखला, नई दिल्ली एवं श्री एस० के० सूद, प्रबन्ध निदेशक, इण्डिया फोर्ज एण्ड ड्राप स्टैम्पिंगस् लि०, मद्रास को 23 नवम्बर 1973 तक के लिये इस्पात की गढ़ी हुई वस्तु उद्योग की पुर्नगठित नामिका को सदस्य नामित करती है। उक्त संकल्प में निम्नलिखित संशोधन किया जायेगा अर्थात्:—

उक्त संकल्प में, श्री बी० वी० वीरभद्रैया से सम्बन्धित प्रविष्टि सं० 13 के पश्चात् निम्नलिखित प्रविष्टि शामिल की जायेगी, अर्थात् :—

14. श्री एस० के० घोष,
उप-निदेशक (धातुकर्मीय),
लघु उद्योग सेवा संस्थान,
औद्योगिक बस्ती के सामने,
ओखला, नई दिल्ली-20।

15. श्री एस० के० सूद,
प्रबन्ध निदेशक,
इण्डिया फोर्ज एण्ड ड्राप स्टैम्पिंगस् लि०,
150-ए०, माउंट रोड़, मद्रास-12।

पी० बी० सक्सेना, अवर सचिव।

शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालय
(शिक्षा विभाग)

नई दिल्ली, दिनांक 11 फरवरी 1972

संकल्प का संशोधन

सं० 12-1/72-वाई० एस० 1(3):—शारीरिक शिक्षा तथा खेलों के राष्ट्रीय संस्थानों के लिए सोसायटी की स्थापना से सम्बन्धित तथा समय समय पर संशोधित किए गए भारत सरकार के शिक्षा तथा समाज कल्याण मंत्रालय के संकल्प संख्या एफ० 16-6/65-पी० ई० 4, दिनांक 17 अगस्त 1965 के खण्ड (3) में निम्नलिखित संशोधन किए जाते हैं :—

"(क) उप खण्ड (2) को काट दिया जाए।

(ख) उप खण्ड (3) की संख्या बदल कर उपखण्ड (2) कर दी जाए तथा उसके शब्द बदल कर निम्नलिखित कर दिए जाएं :—

(2) भारत सरकार द्वारा 13 सदस्यों से अधिक मनोनीत नहीं किए जाएंगे, जिनमें से एक सदस्य सचिव के रूप में कार्य करेगा"।

आदेश

2. आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की एक प्रतिलिपि भारत के राजपत्र में प्रकाशित की जाए तथा सभी संबंधित व्यक्तियों को भेजी जाए।

कांति चौधुरी, संयुक्त सचिव

विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग

नई दिल्ली, दिनांक 18 फरवरी 1972

संकल्प

सं० एच० 11013/2/72-ए०-1—भारत सरकार पारिस्थितिकीय नीतियों और कार्यक्रमों में और अधिक सम्बद्धता और समन्वय स्थापित करने और आर्थिक विकास तथा विज्ञान व प्रौद्योगिकी सम्बन्धी योजना की प्रक्रियाओं में उनका समांकलन करने के प्रश्न की ओर समय-समय पर ध्यान देती रही है भारत सरकार ने सभी सम्बन्धित विषयों का निरन्तर पुनर्विलोकन करने और पारिस्थितिक संरक्षण और सुधार के लिए सभी पहलुओं पर सरकार को अपनी सिफारिश भेजने के लिए गेर-सरकारी और सरकारी अधिकारियों की "नेशनल कमेटी आन एनविरनमेंटल प्लानिंग एण्ड को-आर्डिनेशन" नामक एक समिति गठित करने का निश्चय किया है।

2. इस समिति का गठन इस प्रकार होगा :—

1. श्री पीताम्बर पन्त — अध्यक्ष
2. श्री जफर फुतेहल्ली, — सदस्य
आनरेरी सैक्रेटरी, बाम्बे नेचुरल
हिस्टरी सोसायटी
जुहू लेन,
अंधेरी, बम्बई।
3. डा० ए० के० गांगुली, — सदस्य
हेड,
हैल्थ फिजिक्स डिवीजन,
भाभा एटामिक रिसर्च सैंटर,
बम्बई।
4. डा० एस० पी० जगोटा, — सदस्य
डायरेक्टर,
(आई० एण्ड टी०),
विदेश मंत्रालय,
नई दिल्ली।
5. डा० जे० एस० कंवर, — सदस्य
उप महा निदेशक,
भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद्,
नई दिल्ली।
6. डा० पी० कोटेश्वरम्, — सदस्य
डायरेक्टर जनरल आफ आब्जरवेटरीज,
इण्डियन मैटीओरोलोजिकल डिपार्टमेंट,
लोधी रोड,
नई दिल्ली।
7. श्री केशव महेन्द्रा, — सदस्य
अध्यक्ष,
महेन्द्रा एण्ड महेन्द्रा लिमिटेड,
गेटवे बिल्डिंग,
अपोलो बण्डर,
बम्बई 1।
8. प्रो० आर० मिश्र, — सदस्य
वनस्पति विज्ञान विभाग,
बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय,
वाराणसी-5।
9. डा० के० एन० पाणिकर, — सदस्य
डायरेक्टर,
नेशनल इंस्टीट्यूट आफ ओशेनोग्राफी,
सी० एस० आई० आर०,
पंजिम (गोआ)।
10. श्री पी० प्रभाकर राव, — सदस्य
अध्यक्ष,
टाउन एण्ड कन्ट्री प्लानिंग आर्गेनाइजेशन,
नई दिल्ली।
11. डा० एस० के० सेठ, — सदस्य
प्रेजीडेन्ट,
फारेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट,
देहरादून।
12. डा० जे० बी० श्रीवास्तवा, — सदस्य
डायरेक्टर जनरल आफ हैल्थ सर्विसेज,
निर्माण भवन,
नई दिल्ली।
13. डा० टी० एन० श्रीनिवासन, — सदस्य
प्रोफैसर,
इंण्डियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट,
योजना भवन,
नई दिल्ली।
14. श्री दिग्विजय सिंह, — सदस्य
एम० एल० ए० एवं चेयरमैन,
इकोलोजिकल काउन्सिल आफ गुजरात स्टेट,
रणजीत विलास पैलेस,
वंकनेर (गुजरात)।
एवं
डा० सी० के० वार्णेय। — सचिव

3. समिति के निम्नलिखित विषय होंगे :—

(i) देश में जनसंख्या वृद्धि एवं उसके वितरण और आर्थिक विकास के संदर्भ में मानवीय परिस्थितियों के संरक्षण अथवा उनको उन्नत करने की समस्याओं को समझना और उन पर खोज करना।

(ii) परिस्थिति के गुणों पर जिन कार्यक्रमों का महत्वपूर्ण प्रभाव है उन नीतियों का पुनर्विलोकन करना और परिस्थितिजनित प्रतिक्षतों की गतिविधियों कार्यक्रमों, नीतियों और उपयुक्त परिस्थितिकीय व्यवस्था करने से सम्बन्धित मामलों पर सरकार को, सरकारी प्राधिकरणों और सम्बन्धित उद्योगों को सलाह देना।

(iii) परिस्थितिकीय व्यवस्था के लिए वर्तमान विधान, नियमों और प्रशासकीय तंत्र का पुनर्विलोकन करना

तथा संबंधित प्राधिकरणों को आवश्यक परिवर्तनों के लिए परामर्श देना।

(iv) परिस्थितिकीय समस्याओं को ध्यान में रखते हुए जहां तक संभव हो लागत सहित समस्त संबंधित तथ्यों के लिए समाधानों को सुझाना।

(v) इससे आश्वस्त होना कि परिस्थितिकीय नीतियों और उपायों को आर्थिक नीतियों और उपायों के साथ समन्वित किये गये हैं तथा परिस्थितिकीय गवेषणाओं और अनुसंधानों के परिणामों का आर्थिक और सामाजिक विकास की योजनाओं के निरूपण में विषद रूप से उपयोग किया गया है।

(vi) प्रकृति के ज्ञान की वृद्धि को ध्यान में रखते हुए प्रकृति के समस्त तथ्यों को सुरक्षित रखने के लिए परामर्श देना और लोगों में उसके प्रति प्रेम को प्रगाढ करना तथा प्रकृति की मूल्यवान शक्तियों को देश के भविष्य के लिए सुरक्षित करना।

(vii) जहां कहीं आवश्यक हो परिस्थितिकीय समस्याओं में अनुसंधान करना और ऐसे अनुसंधान कार्य की प्रगति को स्थापित करने के लिए सुविधाएं प्रदान करना।

(viii) शिक्षा के क्षेत्र में विभिन्न स्तरों पर परिस्थितिकीय शिक्षा को सुदृढ़ और उन्नत करना।

(ix) सम्मेलनों, गोष्ठीयों तथा परिसंवादों और अन्य तरीकों से परिस्थितिकीय समस्याओं के प्रति लोगों में जानकारी को बढ़ावा और उन्नत करना।

(x) विश्वस्तरीय परिस्थितिकीय कार्यक्रमों में अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं और संयुक्त राष्ट्रसंघ के साथ सहयोग करना तथा परिस्थितिकीय क्षेत्र में विकास के लिए अन्य देशों में हो रहे कार्य से निकट सम्पर्क रखना।

4. समिति की शर्तें दो वर्ष की अवधि के लिए होगीं।

5. समिति का कार्य विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग करेगा। इस विभाग के अन्तर्गत परिस्थितिक से संबंधित विषयों पर कार्यवाही के लिए एक परिस्थितिक योजना और समन्वय का अलग कार्यालय खोलने का निश्चय किया गया है। यह कार्यालय समिति के अध्यक्ष के मार्गदर्शन में कार्य करेगा।

आदेश

आदेश हुआ कि कमेटी अपने एनविरनमेंटल प्लानिंग एण्ड कोआर्डिनेशन के अध्यक्ष और सदस्यों को प्रस्ताव की एक-एक प्रति भेज दी जाये।

आदेश हुआ कि सामान्य की सूचना के लिए प्रस्ताव भारत सरकार के राजपत्र में प्रकाशित किया जाये।

ए० जे० किदवई, अतिरिक्त सचिव

सिंचाई और विद्युत मंत्रालय

नई दिल्ली, दिनांक 16 फरवरी 1972

संकल्प

सं० एफ० सी० 3 (16)/71—सिंचाई और विद्युत मंत्रालय के संकल्प संख्या एफ० सी० 3 (16)/71 दिनांक 29 नवम्बर, 1971 के अनुसार गंडक नदी के नियंत्रण के लिए अध्ययन करने और किफायती और स्थायी उपायों का सुझाव देने के लिए गठित उच्च स्तरीय समिति का पुनर्गठन एतद्द्वारा निम्नलिखित रूप में किया जाता है :—

1. श्री ए० सी० मित्रा, सेवा निवृत्त इंजीनियर-इन-चीफ, उत्तर प्रदेश।	अध्यक्ष
2. श्री पी० आर० गुहा, सेवा निवृत्त मुख्य इंजीनियर, सिंचाई, बिहार।	सदस्य
3. श्री के० के० वर्मा, मुख्य इंजीनियर, सिंचाई, बिहार।]	सदस्य
4. श्री बी० आर० शोरी, मुख्य इंजीनियर, केन्द्रीय जल और विद्युत आयोग	सदस्य
5. श्री सी० वी० गोले, निदेशक, केन्द्रीय जल और विद्युत अनुसंधान केन्द्र पूना।	सदस्य
6. श्री ओ० डी० शर्मा, अतिरिक्त मुख्य इंजीनियर, सिंचाई, उत्तर प्रदेश।	सदस्य-सचिव

आदेश

आदेश दिया जाता है कि संकल्प की एक प्रति बिहार और उत्तर प्रदेश की राज्य सरकारों, रेल, वित्त, कृषि, परिवहन और विदेश मंत्रालयों और योजना आयोग/प्रधान मंत्री के सचिवालय/राष्ट्रपति के निजी और सैनिक सचिव/भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक को सूचनार्थ भेज दी जाय।

यह भी आदेश दिया जाता है कि संकल्प भारत के राजपत्र में प्रकाशित किया जाए और बिहार और उत्तर प्रदेश की राज्य सरकारों से सामान्य सूचनार्थ इसे राज्य के राजपत्रों में प्रकाशित करने के लिए अनुरोध किया जाए।

दिनांक 28 फरवरी 1972

संकल्प

सं० एफ० सी० 11(28)/71—इस मंत्रालय के संकल्प सं० एफ० सी० 11(28)/71 दिनांक 26 अक्तूबर 1971 के संदर्भ में जो कि हाल के वर्षों में निम्न दमोदर क्षेत्र में बाढ़ों और जलावरोध के कारणों की जांच करने और इस क्षेत्र बार-बार होने वाली क्षति को कम करने के लिए मार्गोपाय निकालने से संबंधित समिति के बारे में था। समिति द्वारा अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करने की तारीख को एतद्द्वारा अप्रैल 1972 के अन्त तक बढ़ाया जाता है।

आदेश

आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की एक प्रति पश्चिम बंगाल और बिहार की सरकारों/अध्यक्ष, दमोदर घाटी निगम/प्रधान मंत्री सचिवालय/राष्ट्रपति के निजी तथा सैनिक सचिव/ भारत के नियन्त्रक तथा महा लेखापरीक्षक/योजना आयोग को सूचनार्थ भेजी जाए।

यह भी आदेश दिया जाता है कि यह संकल्प भारत के राजपत्र में प्रकाशित कर दिया जाए और पश्चिम बंगाल सरकार तथा बिहार सरकार से यह अनुरोध किया जाए कि वे इसे आम जानकारी के लिए राज्य के राजपत्र में प्रकाशित करवा दें।

बी० एम० बंसल, संयुक्त सचिव

नई दिल्ली, दिनांक 25 फरवरी 1972

सं० ई०एल०-दो-22(1)/69—इस मंत्रालय की अधिसूचना सं० ई० एल०-दो-22(1)/69, दिनांक 1 अप्रैल 1969 के अधिक्रमण में केन्द्रीय सरकार निम्नलिखित को एतद्द्वारा भारत के राजपत्र, भाग 1, खण्ड 1 के पृष्ठ 716 पर प्रकाशित भूतपूर्व निर्माण, खान और बिजली मंत्रालय के संकल्प सं० ई० एल०-दो-/5/(7) दिनांकित 30 मई 1949 के निबन्धनानुसार गठित विद्युत दूर-संचार पथ समन्वयन के लिए केन्द्रीय स्थायी समिति के सदस्यों के रूप में नियुक्त करती है :—

1. सदस्य (जल विद्युत्),
केन्द्रीय जल और विद्युत् आयोग,
नई दिल्ली।
2. निदेशक (पारेषण),
केन्द्रीय जल और विद्युत् आयोग,
(विद्युत् स्कंध),
नई दिल्ली।
3. उप निदेशक (विद्युत एवं दूर संचार समन्वय),
केन्द्रीय जल और विद्युत् आयोग
(विद्युत् स्कंध),
नई दिल्ली।
4. उप निदेशक (विद्युत्),
सिंचाई और विद्युत् मंत्रालय,
नई दिल्ली।
5. अतिरिक्त मुख्य इन्जीनियर,
डाक-तार विभाग,
जबलपुर।
6. निदेशक, तार,
टी० एण्ड डी० सर्कल,
डाक-तार विभाग,
जबलपुर।
7. उप मुख्य इन्जीनियर (एम०),
डाक-तार बोर्ड,
नई दिल्ली।
8. संभागीय इन्जीनियर,(तार),
अतिरिक्त मुख्य इन्जीनियर,
डाक-तार विभाग,
जबलपुर।
9. मुख्य इन्जीनियर,
मध्य प्रदेश विद्युत् बोर्ड,
जबलपुर।
10. मुख्य इन्जीनियर,
मैसूर राज्य विद्युत् बोर्ड,
बंगलौर।
11. सलाहकार (बेतार),
भारत सरकार,
संचार विभाग,
नई दिल्ली।
12. उप-निदेशक (दूर संचार),
रेल मंत्रालय,
नई दिल्ली।
13. उप-निदेशक (विद्युत् इंजीनियरी),
रेल मंत्रालय,
नई दिल्ली।

एम० रामनाथन
उप-निदेशक (विद्युत्)

निर्माण और आवास मंत्रालय

नई दिल्ली, दिनांक 14 फरवरी 1972

संकल्प

सं० जी०-25017/1/70-एल०-II—इस मंत्रालय के दिनांक 20 जनवरी, 1971 के संकल्प सं० जी०-25017/1/70-एल०-II के अनुसार, भूमि और विकास कार्यालय के कार्य की विस्तृत जांच के लिये एक समिति का गठन किया गया था। समिति के विचारणीय विषय उस संकल्प के पैरा 2 में दिये गये थे। अब यह निर्णय किया गया है कि उस के अतिरिक्त समिति निम्नलिखित मामलों की जांच भी करेगी और रिपोर्ट पेश करेगी:—

(i) दिल्ली में भूमि/निर्मित सम्पत्ति से तीन विभिन्न अभिकरणों अर्थात भूमि और विकास कार्यालय, दिल्ली विकास प्राधिकरण तथा नगर निकाय का संबद्ध है। पट्टे की शर्तों के अधीन, दुरुपयोग/उल्लंघन भूमि और विकस कार्यालय द्वारा, वृहत योजना के उल्लंघन पर दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा, तथा नगर उपनयमों का उल्लंघन होने पर नगर निकायों द्वारा आपत्ति की जाती है। इसके लिये यह तर्क पेश किया जाता है कि इसमें कोई त्रुटिपूर्ण बात नहीं है, क्योंकि प्रत्येक निकाय अपने नियमों/उपनियमों के उल्लंघन के लिये एक पृथक दृष्टि से कार्यवाही करता है, परन्तु आम जनता द्वारा इसका विरोध इस लिये हुआ है कि उन्हें तीन विभिन्न निकायों द्वारा एक ही अपराध के लिये तीन बार दंडित किया जाता है।

(ii) रिहायशी स्थानों को किसी अन्य उद्देश्य के लिये विशेषकर वाणिज्यिक उद्देश्य के लिये प्रयोग करना पट्टे की शर्तों और बृहत योजना का उल्लंघन है। जहां तक भूमि तथा विकास कार्यालय का संबंध है फिलहाल सरकार पट्टाधारियों या उनके किरायेदारों द्वारा डाक्टर, दांतों के डाक्टर, वास्तुक या इंजीनियर, वकील आदि जैसे व्यवसायिक लोगों द्वारा किये उल्लंघनों पर कुछ सीमा तक ध्यान नहीं देती है, (केवल उस सीमा तक कि वे अपने व्यवसायिक उद्देश्यों के लिये अपने रिहायशी मकानों में 500 वर्ग-फुट तक का स्थान प्रयोग कर सकते हैं बशर्ते कि वे उस स्थान में रह रहे हों)। पट्टाधारियों द्वारा यह मांग की गई है कि यह रियायत काफी नहीं है है और स्थान पर अपेक्षित रिहायशी वास की शर्त तथा प्रयोग में लाये जाने वाले क्षेत्र पर प्रतिबंध की शर्त पूर्णतया हटा दी जानी चाहिये। यह भी मांग की जाती है कि क्षम्य उल्लंघनों का लाभ, कलाकारों, मूर्तिकारों सौंदर्य विशेषज्ञों आदि जैसे नये व्यवसायों तक बढ़ाया जाय। मांग यह है कि इस सूची को अधिक व्यापक बनाया जाना चाहिये।

(iii) कतिपय कालोनियों में दुकानों की सुविधाओं की कमी के कारण, विशेषकर दिल्ली की शरणार्थी कालोनियों में, जोकि शीघ्रता में बनाई गई थी और जिन की योजना ठीक ढंग से नहीं हुई है कतिपय रिहायशी स्थान पट्टेधारियों या उनके किरायेदारों द्वारा वाणिज्यिक उद्देश्ययों के लियें प्रयोग में लाये जा रहे हैं। बड़े पैमाने पर ढील से क्षेत्र का स्वरूप ही बदल जायगा। व्यक्तिगत मामलों में उल्लंघनों को क्षमा कर देने की मांग है, विशेषकर जहां उल्लंघन उन भूल पट्टेधारियों द्वारा किया गया है जिन्हें ये रिहायशी स्थान पुनर्वास के उपायों के तौर पर दिये गये थे।

(iv) भूमि तथा विकास कार्यालय द्वारा भूमि पट्टे पर दिये जाने के बाद म्यूनिस्पिल उप-नियम उदार बना दिये गये हैं। उदाहरणार्थ, कुछ वर्ष पूर्व की तुलना में अब अधिक क्षेत्र पर छत डालने की अनुमति है। इस समय भूमि तथा विकास कार्यालय की नीति यह है कि अतिरिक्त छतदार क्षेत्र के निर्माण के लिये अतिरिक्त प्रभार लिये जायें। भूमि तथा विकास कार्यालय उसी सीमा तक निर्माण की अनुमति देता है जोकि पट्टा देने के समय नगर उप-नियमों के अधीन अनुमेय थी। इन अतिरिक्त प्रभारों की वसूली के लिये, भूमि तथा विकास कार्यालय एक फारमूला अपनाता है जिसके अधीन अतिरिक्त निर्माण के लिये अपेक्षित एक काल्पनिक क्षेत्र मान लिया जाता है तथा अतिरिक्त निर्माण के लिये प्रभार वास्तविक निर्माण के आधार पर वसूल नहीं किये जाते हैं। यह मांग की जाती है कि एक बार पट्टा दे दिये जाने के बाद, नगर उप-नियमों द्वारा दिये गये अतिरिक्त छतदार क्षेत्र का लाभ यदि कोई हो तो सरकार को बिना बीच में लाये, पट्टेधारी को मिलना चाहिये।

(v) ऐसे मामलों में जहां पट्टेधारी द्वारा रिहायशी स्थान अपने किरायेदारों को किराये पर स्पष्टतया रिहायशी वास के लिये दिये हैं तथा किरायेदार या तो कार्यालय खोलकर या उनमें कुछ अन्य वाणिज्यिक गतिविधियां करके उस स्थान का दुरुपयोग करते हैं, और पट्टेधारी कुछ नहीं कर सकता सिवाय इसके कि वह किरायेदार को निकालने के लिये न्यायालय में जाय। कानूनी प्रक्रिया लम्बी होने के कारण, किरायेदार को निकालने में कई वर्ष लग जाते हैं। कभी-कभी मालिक मामले में सफल नहीं हो पाता और इस प्रकार किरायेदार को निकालने में भी सफल नहीं हो पाता। तथापि भूमि तथा विकास कार्यालय पट्टेधारी से इस आधार पर हर्जाना वसूल करता है कि पट्टा-विलेख पट्टा देने वाले और पट्टेधारी के बीच हुआ है और पट्टा देने वाले का पट्टेधारी के किरायेदार से निपटने का कोई अधिकार नहीं है। यह शिकायत है कि इससे मालिक को बहुत भारी हानि होती है जिसे एक ओर मुकदमे पर व्यय करना पड़ता है तो दूसरी ओर भूमि तथा विकास कार्यालय को हर्जाना अदा करना पड़ता है। ऐसे मामलों में, यह सुझाव है कि कुछ ऐसे उपाय निकाले जायें, जो सरकार और पट्टेधारी दोनों के लिये न्यायासंगत हों, उदाहरणार्थ, ऐसे उपाय जिस द्वारा किरायेदार को कानूनी तौर पर दुरुपयोग का उत्तरदायी बनाया जा सके, और उसे सरकार को सीधे हर्जाना अदा करने पर बाध्य किया जा सके या उसे स्थान से निकाला जा सके।

समिति, विचारणीय विषयों के साथ अपनी अंतिम रिपोर्ट से पूर्व ऊपर की मद सं० (ii) पर एक विशेष रिपोर्ट पेश करेगी।

आदेश

आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की एक प्रति सभी संबंधित लोगों को भजी जाय तथा इसे सामान्य सूचना के लिये भारत के राजपत्र में प्रकाशित किया जाय।

पी० सी० मैथ्यु, सचिव

नई दिल्ली, दिनांक 28 फरवरी 1972

संकल्प

सं० जी०-25017/1/72-एल०-II—यत: इस मंत्रालय के दिनांक 20 जनवरी 1971 के संकल्प सं० जी० 25017/1/70-एल०-II द्वारा भूमि और विकास कार्यालय के कार्य को विस्तृत रूप से जांच करने के लिए एक समिति का गठन किया गया था। उस संकल्प के पैरा 4 के अनुसार, समिति

द्वारा इस के गठित किये जाने की तारीख के एक वर्ष के भीतर रिपोर्ट का प्रस्तुत किया जाना अपेक्षित था।

यतः समिति का गठन श्री होमी जे० एन० तलियारखान की अध्यक्षता में 1 मार्च 1971 से हुआ था, जो भारत सरकार के राजदूत के रूप में अपनी नियुक्ति पर लीबिया चले गए हैं और यतः रिपोर्ट को अन्तिम रूप देने के लिए अब श्री अनिल के० चन्दा को नये अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है।

अतएव इस समिति की अवधि को 1 मार्च 1972 से छह मास और आगे बढ़ाने का निर्णय किया गया है।

आदेश

आदेश दिया जाता है कि संकल्प की प्रतिलिपि सभी संबंधित व्यक्तियों को भेजी जाए।

यह भी आदेश दिया जाता है कि संकल्प को भारत सरकार के राजपत्र में सामान्य सूचना के लिए प्रकाशित किया जाए।

सुकुमार चौधरी, सचिव के निमित्त

PRESIDENT'S SECRETARIAT

New Delhi, the 22nd February 1972

No. 33-*Pres.*/72.—The President is pleased to award the Police Medal for gallantry to the undermentioned officer of the Border Security Force :—

Name and rank of the officer

Shri Umed Singh Rawat,
Deputy Commandant,
Border Security Force Academy.

2. This award is mad for gallantry under rule 4(1) of the rules governing the award of the Police Medal.

The 23rd February 1972

No. 34-*Pres.*/72.—The President is pleased to award the President's Police and Fire Services Medal for gallantry to the undermentioned officers of the Madhya Pradesh Police :—

Names and ranks of the officers

Shri Rajendra Jeet Khurana,
Superintendent of Police,
Bhind.
Madhya Pradesh.

Shri Hare Ram Singh,
Head Constable No. 710,
17th Battalion,
Special Armed Force,
Bhind.
Madhya Pradesh.

Statement of services for which the decorations have been awarded.

Dacoit Jagmohan Singh formed a gang some time in 1963 and had been committing murders, dacoities and kidnappings for ransom. He had been operating in the districts of Bhind, Morena, Gwalior and Shivpuri of Madhya Pradesh and the adjoining areas of Rajasthan and Uttar Pradesh. On the afternoon of 31st July, 1969, information about the presence of the gang of dacoit Jagmohan Singh was received by Shri Rajendra Jeet Khurana. He immediately informed the D.I.G. of Police and prepared a plan of action. The Police party were divided into two main groups and were deployed on both sides of river Asan which divides the Districts of Morena and Bhind. The Police parties on both these sides of river were further divided into small groups and were asked to proceed in batches of 8-9 persons and take up positions at various escape routes of the dacoits and other vulnerable points before the morning of 1st August, 1969. In the early morning of 1st August, the dacoits first came in contact with the Police deployed near village Sunaripura, in Bhind District. In this encounter, three dacoits were shot dead by the Police. The dacoits then tried to escape towards the East in the direction of village Sohans and hid themselves in a *Nala*. Shri Khurana himself led the Police party near village Sohans. The scout of Shri Khurana's party noticed something unusal in the *nala* and asked the dacoits to come out, but the dacoits opened fire on the Police. Shri Khurana returned the fire. He then left a part of the section of the Police to keep the dacoits engaged and he himself moved about 50 yards to the left to attack the position of the dacoits from the left flank. The dacoits then withdrew into a ravine and escaped Shri Khurana assembled his party and chased the dacoits in the ravines unmindful of the risk involved. But for Shri Khurana's courage, the dacoits' gang would have escaped.

Finding that it was difficult to escape from that direction, the dacoits turned towards the river to cross from another spot about 400 yds. away. Shri Hare Ram Singh, Head Constable, had been positioned at that spot which is opposite to village Bhidosa. The dacoits tried to break through the Police cordon but Shri Hare Ram Singh and the four constables of his party returned the fire with such determination and speed that the dacoits withdrew and turned towards river Asan in order to cross over to the other side. The dacoits then crossed the river Asan. Shri Hare Ram Singh continued to chase the dacoits in disregard of his safety. The bullets of the dacoits were spraying water from the other side of the river but Shri Hare Ram Singh continued to advance and waded through the river.

In this encounter, Shri Rajendra Jeet Khurana and Shri Hare Ram Singh exhibited valour and conspicuous gallantry and this bold action liquidated 17 dacoits.

2. These awards are made for gallantry under rule 4(i) of the rules governing the award of the President's Police and Fire Services Medal and consequently in the case of Shri Hare Ram Singh the award carries with it the special allowance admissible under rule 5, with effect from the 1st August, 1969.

No. 35-*Pres.*/72.—The President is pleased to award the Police Medal for gallantry to the undermentioned officers of the Madhya Pradesh Police :—

Names and ranks of the officers

Shri Ram Lal Verma,
Deputy Superintendent of Police,
District Morena,
Madhya Pradesh.

Shri Arun Kumar Babbar,
Assistant Superintendent of Police,
District Bhind,
Madhya Pradesh.

Shri Arjun Singh,
Circle Inspector of Police,
District Bhind,
Madhya Pradesh.

Shri Bal Bahadur,
Platoon Commander,
5th Battalion,
Special Armed Force,
District Morena,
Madhya Pradesh.

Shri Nawab Singh,
Company Commander,
8th Battalion,
Special Armed Force,
Chhindwara,
Madhya Pradesh.

Shri Pahalwan Singh,
Company Commander,
8th Battalion,
Special Armed Force,
Madhya Pradesh.

Shri Indra Bahadur Srivastava,
Sub-Inspector of Police,
Police Station Porsa,
District Morena,
Madhya Pradesh.

Shri Rang Bahadur Yadav,
Sub-Inspector of Police,
Station Officer,
Police Station Sehonia,
District Morena,
Madhya Pradesh.

Shri Karnail Singh,
Platoon Commander,
8th Battalion,
Special Armed Force,
Madhya Pradesh.

Shri Kinder Singh,
Constable No. 660,
8th Battalion,
Special Armed Force,
District Chhindwara,
Madhya Pradesh.

Shri Sehdeo Singh,
Constable No. 630,
8th Battalion,
Special Armed Force,
District Chhindwara,
Madhya Pradesh.

Shri Karan Singh,
Constable No. 735,
8th Battalion,
Special Armed Force,
Chhindwara,
District Morena,
Madhya Pradesh.

Statement of services for which the decorations have been awarded.

Dacoit Jagmohan Singh had formed a gang some time in 1963 and had been committing dacoities, murders, and kidnappings for ransom. On 31st July, 1969, information about the presence of the gang of dacoit Jagmohan Singh was received by the Superintendent of Police, Bhind. A plan of action was prepared and various searching and driving parties were deployed on both sides of the Asan river in the Districts of Morena and Bhind to check the escape of the dacoits into the ravines and to other vulnerable points. The Police party was divided into two main groups which were further divided into small Police parties. These parties were detailed to proceed on the night of 31st July to take up their respective positions before the morning of 1st August, 1969. The Police had a number of encounters with the dacoits. In the first encounter, which took place near village Sunaripura in Bhind District, three dacoits were killed. Another encounter took place near village Sohans and then opposite to village Bhidosa. Thereafter the dacoits crossed the river Asan and entered Morena District. The Police continued to chase them. The dacoits also had several encounters on the Morena side. Firstly they had encounter near village Bhidosa immediately after crossing the river. Another encounter took place near a mound and then near a dry canal. Finally they had an encounter near a field when they were surrounded by the Police on various sides and were killed.

In the first encounter while searching party, led by Shri Arun Kumar Babbar, Shri Arjun Singh and Shri Bal Bahadur, was proceeding towards the ravines near village Sunaripura, they were fired upon by the dacoits. Shri Babbar asked Shri Bal Bahadur to charge the dacoits from the front while he and Shri Arjun Singh moved from the flanks. Shri Babbar, unmindful of the grave danger to his life, advanced in the open and encouraged his men. Subsequently, when the dacoits crossed the Asan river, Shri Babbar waded through the water and chased the dacoits. The bullets fired by the dacoits kept on kicking up water on all sides but Shri Babbar continued to lead his men undeterred by the fire of the dacoits. Later on, when the dacoits after crossing the Asan river took shelter near village Bhidosa, Shri Babbar climbed a roof and encouraged his men to follow him. Shri Arjun Singh was posted near village Sohans. While searching the ravines, he was fired upon by the dacoits from a close range but unmindful of the risk involved he re-organised his men and launched an attack on the dacoits. In the encounter two dacoits were killed and the remaining dacoits were forced to flee and cross the Asan river and run into the ambush laid on the Morena side.

Shri Nawab Singh, Coy. Commander was deployed in the ravine of Kharagpur on the Morena side to search the area along the bank of river Asan. When the dacoits crossed river and came on the Morena side, Shri Nawab Singh divided the Police party into three groups in order to chase the dacoits. While one of the parties was commanded by Shri Nawab Singh himself, the second was commanded by Shri Rang Bahadur Yadav, Sub-Inspector and the third Police party was headed by Shri Indra Bahadur Srivastava. The party of Shri Nawab Singh was in the middle while those of Shri Rang Bahadur Yadav and Shri Indra Bahadur Srivastava were on the left and right flanks respectively. When they saw that the dacoits had crossed river Asan, and after encounter with the Police had started towards village Lepa, Shri Nawab Singh with three Police Parties ran towards them. Shri Indra Bahadur Srivastava chased the dacoits for about a mile exchanging fire with them. At one stage he thought that the dacoits would head towards the ravines of the river Asan beyond village Lepa. He immediately sent Shri Sehdeo Singh along with two other constables to take up position, and prevent the escape of the dacoits in the ravines on the south east. Shri Sehdeo Singh ran in the open unmindful of the risk involved, reached the mouth of the ravines and checked the escape of the dacoits into the ravines. It was because of the heavy fire and gallantry exhibited by Shri Sehdeo Singh that the dacoits changed their direction.

The gang then turned towards a mound. Shri Rang Bahadur Yadav and LMG Gunner Shri Karan Singh ran for nearly 500 yards to take up position in the south east of the mound. The gang tried to stop the advance of the Police party by firing on them but the Police party remained undeterred and prevented the dacoits from entrenching themselves in the deserted village.

After the dacoits had been prevented from escaping into the ravines they changed their direction and ran towards the dry canal. Shri Pahalwan Singh, Company Commander was positioned on the canal side to prevent the escape of the gang from that direction. He immediately divided his party into two groups and advanced towards the dacoits. Though the police party was out-numbered, they held their positions bravely and foiled the attempts of the dacoits to break the Police cordon from that direction. They compelled the dacoits to turn back and flee in the opposite direction. Shri Pahalwan Singh continued to chase the fleeing dacoits and also took a leading part in the final assault on them. In the encounter Shri Pahalwan Singh exhibited initiative and bravery. His LMG Gunner, Shri Kinder Singh, ran in the open for nearly 800 yards to take up position to stop the advance of the dacoits to canal. He exhibited outstanding bravery and courage in rushing to the place of his deployment. He also exhibited conspicuous gallantry in moving in the open without any cover towards the advancing dacoits. In the final assault also Shri Kinder Singh led his men bravely to charge the gang.

When all the attempts of dacoits to escape were foiled and the various Police parties were closing on them from the flanks, Shri Karnail Singh was asked to run and close upon the gang from the front. Shri Karnail Singh, unmindful of the risk involved, himself opened fire with LMG and thus sealed the route of the dacoits. After the dacoits had crossed river Asan, Shri Ram Lal Verma contacted various police parties deployed on the Morena side of the Asan river in disregard of his personal safety. He deployed the various police parties in such a way that the escape routes of the dacoits were cut off. He organised 12 encounters with the dacoits in the whole action which lasted for about three hours. Shri Verma also foiled the last bid of the dacoits to escape.

In this encounter with the gang of dacoit Jagmohan Singh all the Police officers mentioned above exhibited conspicuous gallantry and liquidated 17 dacoits including the gang leader.

2. These awards are made for gallantry under rule 4(i) of the rules governing the award of the Police Medal and consequently in the cases of S/Shri Arjun Singh, Circle Inspector of Police, Bal Bahadur, Platoon Commander, Nawab Singh, Company Commander, Pahalwan Singh, Company Commander, Indra Bahadur Srivastava Sub-Inspector of Police, Rang Bahadur Yadav, Sub-Inspector of Police Karnail Singh Platoon Commander, Kinder Singh, Constable No. 660, Sehdeo Singh Constable No. 630 and Karan Singh Constable No. 735, the awards carry with them the special allowance admissible under rule 5, with effect from the 1st August, 1969.

New Delhi, The 23rd February 1972

No. 36-*Pres.*/72.—The President is pleased to award the Police Medal for gallantry to the undermentioned officers of the Jammu & Kashmir Police :—

Names and ranks of the officers

Peer Ghulam Hassan Shah,
Deputy Inspector General of Police,
Jammu and Kashmir.

Shri Ali Mohd. Watali,
Deputy Superintendent of Police,
Jammu and Kashmir.

Shri Abdul Rashid Mir,
Deputy Superintendent of Police,
Jammu and Kashmir.

Statement of services for which the decoration has been awarded.

In the year 1969, information was received by the Police that certain persons and organisations had been indulging in subversive activities in Kashmir Valley. In January, 1971, a dacoity was committed in a Bank in Hazratbal. Peer Ghulam Hassan Shah was specially deputed to conduct investigations in this dacoity. After investigation it was learnt by the Police that the members of the gang who had committed the dacoity were residing in a house in village Barsu District Ananinag. The house had a number of escape routes. On the morning of 16th January, Peer Ghulam Hassan Shah decided to conduct a raid on the hideout of the gang. A police party consisting of, amongst others, Shri Ali Mohd. Watali and Shri Abdul Rashid Mir headed by Peer Ghulam Hassan Shah surrounded the hideout of the gang. Peer Ghulam Hassan Shah, Shri Ali Mohd. Watali and Shri Abdul Rashid Mir approached the house from the front. They forced open the main gate. They were seen by the members of the gang who opened fire on them. All these three officers also returned the fire and rushed into the house in disregard of their personal safety. The members of the gang surrendered to the police party.

Peer Ghulam Hassan Shah, Shri Ali Mohd. Watali and Shri Abdul Rashid Mir exhibited conspicuous gallantry in this incident.

2. These awards are made for gallantry under rule 4(i) of the rules governing the award of the Police Medal and consequently in the case of Shri Ali Mohd. Watali and Shri Abdul Rashid Mir, the awards carry with them the special allowance admissible under rule 5, with effect from the 16th January, 1971.

The 24th February 1972

No. 37-*Pres.*/72.—The President is pleased to award the Police Medal for gallantry to the undermentioned officer of the Calcutta Police :—

Name and rank of the officer

Shri Santosh Kumar Bose,
Sergeant,
Bhowanipur Police Station,
Calcutta,
West Bengal.

Statement of services for which the decoration has been awarded.

On the evening of 15th August, 1970, a fierce fighting took place on Kali Ghat Road, Calcutta, between two rival groups of anti-social elements. Street lights in the area were switched off and high explosive bombs, acid bulbs and pipe guns were freely used by the warring groups. On receiving information Shri Santosh Kumar Bose rushed to the spot with a small police force. On the arrival of the police force, they became the target of attack by both the warring parties. Even though the Police party was encircled by the violent crowed yet Shri Bose did not lose his nerves and fought a pitched battle with the assailants. He opened fire on the assailants as a result of which a notorious goonda was shot dead. He was himself injured in the encounter but did not lose courage and dispersed the assailants.

In another incident on the evening of 17th September, 1970, Shri Bose, accompanied by a police party repelled the raid by certain extremists on the Kalighat Police Station and saved the sentries and the police personnel from injury. They also saved Government property from damage.

In both the incidents mentioned above, Shri Santosh Kumar Bose displayed great courage, determination and devotion to duty.

2. This award is made for gallantry under rule 4(i) of the rules governing the award of the Police Medal and consequently carries with it the special allowance admissible under rule 5, with effect from the 17th September, 1970.

No. 38-*Pres.*/72.—The President is pleased to award the President's Police and Fire Services Medal for gallantry to the undermentioned officer of the Madhya Pradesh Police :—

Name and rank of the officer

Shri Dev Prakash Khanna,
Superintendent of Police,
Shivpuri,
Madhya Pradesh.

Statement of services for which the decoration has been awarded.

After the death of dacoit Surat Singh in December, 1969, the leadership of his gang was taken up by dacoit Navla Seharia who spread a reign of terror in the districts of Shivpuri and Guna etc. On 24th March 1970 information was received by Shri Dev Prakash Khanna that the gang of Navla Seharia was moving in the vicinity of village Madanpur about 40 miles away from Shivpuri. Shri Khanna collected the available police force and reached the jungle of Madanpur in the night. On reaching there, he found that the gang was present in the verandah of a house in village Jhadel about 4 miles away. Shri Khanna divided the Police force into four parties and laid a cordon round the hideout of the dacoit. When the Police party went closer to the hideout, the sentry of the gang spotted the Police and fired on the Police party. The leader of the gang Navla Seharia made a desperate bid to escape in the adjoining jungle. But Shri Khanna gave a chase to dacoit Navla Seharia and when the dacoit leader came within the fire range of Shri Khanna, he took a quick aim and killed the dacoit.

In this incident Shri Dev Prakash Khanna displayed outstanding leadership and courage. He exhibited conspicuous gallantry in chasing the dacoit and in killing him.

2. This award is made for gallantry under rule 4(i) of the rules governing the award of the President's Police and Fire Services Medal.

No. 39-*Pres.*/72.—The President is pleased to award the Police Medal for gallantry to the undermentioned officers of the Madhya Pradesh Police :—

Names and ranks of the officers

Shri Hakim Singh,
Head Constable No. 342,
Shivpuri,
Madhya Pradesh.

Shri Hamir Singh,
Head Constable,
1st Battalion, S.A.F.,
Indore,
Madhya Pradesh.

Shri Het Ram,
Head Constable,
1st Battalion, S.A.F.,
Indore,
Madhya Pradesh.

Statement of services for which the decoration has been awarded.

After the death of dacoit Surat Singh in December 1969, leadership of the gang was taken up by dacoit Navla Seharia who created a reign of terror in the districts of Shivpuri and Guna etc. On 24th March, 1970, information was received by the Superintendent of Police about the presence of dacoit Navla Seharia along with other members of his gang in the vicinity of village Madanpur, about 40 miles from Shivpuri. The Police force available at the Police station was collected and an attack was launched at the hideout of the dacoit. Shri Hakim Singh and Shri Hamir Singh and Shri Het Ram were the members of the party which was selected to launch an attack on the dacoits. They all reached village Madanpur at night and took up position near the hideout of the gang. Shri Het Ram and Shri Hamir Singh were armed with TMC and

were the scouts of the Police party. Shri Hakim Singh was also the member of this party. They crawled gradually to the verandan of the house. Shri Het Ram tried to peep inside but one of the dacoits fired at him with .12 bore gun. The three constables also fired with their TMC and a rifle. They launched several attacks on the dacoits. The dacoits directed heavy fire on them but they remained undeterred. In the encounter they shot dead seven dacoits.

The above mentioned officers displayed courage and conspicuous gallantry. They remained in the fore-front in complete disregard of their personal safety and foiled the attempts of the dacoits to break the cordon and escape in the jungle.

2. These awards are made for gallantry under rule 4(i) of the rules governing the award of the Police Medal and consequently carry with them the special allowance admissible under rule 5, with effect from the 24th March, 1970.

NAGENDRA SINGH, Secy. to the President

MINISTRY OF LAW AND JUSTICE

(Legislative Department)

Journal Wing

New Delhi, the 1st March 1972

RESOLUTION

No. F.22/4/69-JL(Admn.).—In pursuance of para 3 of the Government of India, Ministry of Law & Justice, Legislative Department, Resolution No. F.22/4/69-JL (Admn.), dated 10-2-1972 relating to the scheme for writing, translation and publication of standard law books in Hindi, the following persons are nominated as Chairman/Members of the Evaluation Committee for rendering advice to the Government of India in the Ministry of Law & Justice, Legislative Department, for the effective implementation of the said scheme :

Chairman

1. Shri S. C. Misra, Chairman, Official Language (Legislative) Commission (Retired Chief Justice, Patna High Court), New Delhi.

Member

(Ex-Officio)

2. Shri N. D. P. Namboodiripad, Joint Secretary & Legislative Counsel, now holding current charge of the duties of Secretary, Legislative Department, Ministry of Law & Justice, New Delhi.

Members

3. Shri G. N. Dikshit, Senior Advocate, Supreme Court of India, New Delhi.
4. Shri R. G. Trivedi, Member, Official Language (Legislative) Commission, New Delhi.
5. Shri G. S. Sharma, Dean, Faculty of Law, Rajasthan University, Jaipur.
6. Dr. P. L. Shriwastava, Head of the Department of Law, Government Hamidia College, Bhopal.
7. Dr. B. N. Srivastava, Dean, Faculty of Law, Patna University, Patna.
8. Professor L. N. Tandon, Dean, Faculty of Law, Lucknow University, Lucknow.
9. Dr. Anandjee, Dean, Faculty of Law, Banaras Hindu University, Varanasi.

Member

(Ex-Officio)

10. Dr. S. N. Jain, Acting Dircetor, Indian Law Institute, New Delhi.

Member Convener

(Ex-officio)

11. Dr. Moti Babu, Additional Draftsman, Official Language (Legislative) Commission and Secretary, Hindi Advisory Committee for the Ministry of Law & Justice, New Delhi.

N. K. SETH, Under Secy.

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Economic Affairs)

New Delhi, the 21st February, 1972

No. F.8(15)-NS/71.—The undermentioned Members of Parliament are appointed members of the reconstituted National Savings Central Advisory Board as announced in the Government of India, Ministry of Finance (Department of Economic Affairs) Resolution No. F.8(15)-NS/71, dated 28-1-1972 :—

1. Shri Jitendra Prasad, M.P. (Lok Sabha), CI/30, Pandara Park, New Delhi.
2. Shri Kalyan Chand, M.P. (Rajya Sabha), 62, South Avenue, New Delhi-11.
3. Shri Mahadeepak Singh Shakya, M.P. (Lok Sabha), 160, South Avenue, New Delhi-11.
4. Smt. Sahodrabhai Rai, M.P. (Lok Sabha), 148, North Avenue, New Delhi-1.

A. V. SRINIVASAN, Under Secy.

New Delhi, the 25th February 1972

No. F.5(15)-W&M/71.—In pursuance of the provisions of Section 4 of the Jayanti Shipping Company (Acquisition of Shares) Act, 1971 (14 of 1971), the Government of India hereby notifies the issue of the 4½% Jayanti Shipping Company (Acquisition of Shares) Compensation Bonds, 1981 for payment of Compensation to the shareholders of the Jayanti Shipping Company Limited.

1. *Amount of Issue.*—The total amount of issue will be determined by the Government of India on the basis of options exercised or deemed to have been exercised by the shareholders of the Jayanti Shipping Company Limited in terms of sub-sections (2) and (5) of Section 4 of the Jayanti Shipping Company (Acquisition of Shares) Act, 1971.

4½ PER CENT JAYANTI SHIPPING COMPANY (ACQUISITION OF SHARES) COMPENSATION BONDS, 1981 ISSUED AT RS. 100.00 PER CENT AND REDEEMABLE AT PAR ON THE 17TH OCTOBER, 1981.

2. *Date of Issue.*—The Bonds will be issued retrospectively from the 17th October, 1971.

3. *Date of Repayment.*—The Bonds will be repaid at par on the 17th October, 1981.

4. *Issue Price.*—Issue price will be Rs. 100.00 for every Rs. 100.00 (nominal).

5. *Interest.*—The Bonds will bear interest at the rate of 4½ per cent per annum with retrospective effect from 17th October 1971. Interest will be paid half-yearly on the 17th of April and 17th of October and will be liable to tax under the Income-Tax Act, 1961 subject to the provisions of paragraphs 6 and 7 below.

6. *Refunds of tax deducted at source or non-deduction of Tax* :—Refunds of tax deducted at the time of payment of interest (at rates prescribed by the Annual Finance Acts) will be obtainable by the holders of the Bonds, who are not liable to tax or who are liable to tax at a rate lower than the rate at which tax was deducted. A holder who is not liable to tax or who is liable to tax at a rate lower than the prescribed rate, can obtain, on application, a certificate from the Income-Tax Officer of the district, authorising payment of interest to him without deduction of tax or with deduction of tax at such lower rate as may be applicable to the holder.

7. Interest on Government securities alongwith income in the form of interest or dividends on other investments will be exempt from income-tax subject to a limit of Rs. 3,000 per annum and subject to other provisions of Section 80L of the Income-Tax Act, 1961.

The value of investments in the Bonds now issued together with the value of other previous investments in Government securities and the other investments specified in Section 5 of the Wealth-Tax Act will also be exempt from the Wealth Tax upto Rs. 1,50,000.

8. The securities will be issued in the form of :

(i) Stock, the applicants for which will be given Stock Certificates, or

(ii) Promissory Notes.

If no preference is stated by the applicants, the securities will be issued in the form of Stock.

9. *Place of Payment of Interest* :—Interest on the loans will be paid at the Public Debt Offices of the Reserve Bank of India at Ahmedabad, Bangalore, Bombay, Calcutta, Hyderabad, Jaipur, Kanpur, Madras, Nagpur, New Delhi and Patna at any treasury or sub-treasury elsewhere in India except for the State of Jammu & Kashmir and at the Central Government's Pay and Accounts Offices at Jammu and Srinagar.

10. Any further information or details may be obtained from the Reserve Bank of India, Department of Accounts and Expenditure, Central Debt Section, Bombay.

By order of the President,
B. MAITHREYAN, Jt. Secy.

(Department of Expenditure)

New Delhi, the 24th February 1972

RESOLUTION

No. PF/R-9(5)/72.—The Government of India have decided to appoint a Committee, to be known as the Committee on Taxation of Agricultural Wealth and Income, to examine the question of taxation of agricultural wealth and incomes from all aspects. The Committee will be composed of the following :—

Chairman

1. Dr. K. N. Raj, Centre for Development Studies, Trivandrum.

Members

2. Prof. V. M. Dandekar, Director, Gokhale Institute of Politics and Economics, Poona.

3. Shri G. S. Kalkat, Director of Agriculture, Government of Punjab, Chandigarh.

4. Shri Anwar Karim, Commissioner and Secretary, Finance Department, Government of Bihar, Patna.

5. Prof. Dharm Narain, Chairman, Agricultural Prices Commission, New Delhi.

6. Shri M. B. Palekar, Member, Central Board of Direct Taxes, Ministry of Finance, New Delhi.

7. Dr. A. Vaidyanathan, Director, Perspective Planning Division, Planning Commission, New Delhi.

8. Shri B. P. R. Vithal, Secretary, Planning Department, Government of Andhra Pradesh, Hyderabad.

2. The Committee will have the following terms of reference :—

(a) To examine the present system of direct taxation of agricultural wealth and income (including capital gains) and suggest methods by which such taxation can be used more effectively for raising additional resources for development and for helping to achieve the objective of self-reliance;

(b) To recommend specifically ways and means by which taxation of agricultural wealth and income can be used to reduce economic disparities and promote more efficient utilisation of the available sources of land and labour;

(c) To examine in detail, and make recommendations on, the necessary changes in the system of assessment, collection and distribution of these taxes such that the resources available to the States from such taxation can be maximised, without detriment to the rights and legitimate interests of any State;

(d) To suggest the consequential changes, if any, in the system of taxation of wealth and income in general; and

(e) To indicate and make suggestions, if any, on any related matters.

3. The Committee will evolve its own procedure for its work. The Plan Finance Division of the Ministry of Finance will provide the secretariat of the Committee.

4. The Committee will make its recommendations to the Government of India by the 30th September, 1972.

ORDER

ORDERED that the Resolution be published in the Gazette of India for general information and copies sent to the Chairman and Members of the Committee, all Ministries of the Government of India and to all State Governments and Governments of Union Territories.

B. D. PANDE, Secy.

MINISTRY OF INDUSTRIAL DEVELOPMENT

New Delhi, the 18th February 1972

RESOLUTION

No. 11(2)/71-EEI.—In continuation of this Ministry's Resolution of even number dated the 24th November, 1971 the Central Government hereby nominates till the 23rd November 1973, Shri S. K. Ghosh, Deputy Director (Metallurgical), Small Industries Service Institute, Okhla, New Delhi and Shri S. K. Sood, Managing Director, India Forge and Drop Stamping Ltd., Madras to be Members of the Reconstituted Panel for Steel Forgings Industry. The following amendments shall be made in the said Resolution namely :—

In the said Resolution, after entry No. xiii relating to Shri V. V. Virabhadrayya, the following entries shall be added namely :—

(xiv) Shri S. K. Ghosh, Deputy Director (Metallurgical), Small Industries Service Institute, Opp. Industrial Estate, Okhla, New Delhi-20.

(xv) Shri S. K. Sood, Managing Director, India Forge & Drop Stampings Ltd., 150-A, Mount Road, Madras-2.

P. B. SAXENA, Under Secy.

MINISTRY OF EDUCATION & SOCIAL WELFARE

(Department of Education)

New Delhi, the 11th February 1972

AMENDMENT TO RESOLUTION

No. 12-1/72-YSI(3).—In Clause (3) of the Government of India, Ministry of Education Resolution No. F. 16-6/65-PE.4, dated the 17th August, 1965, as amended from time to time, regarding the Establishment of the Society for the National Institutes of Physical Education & Sports, the following amendments are made :—

"(a) Sub-Clause (ii) shall be *deleted*.

(b) Sub-clause (iii) shall be renumbered as Sub-clause (ii) and shall be re-worded as under :

(ii) Not more than 13 members to be nominated by the Government of India one of whom shall act as Member-Secretary".

2. ORDERED that a copy of this Resolution be published in the Gazette of India and communicated to all concerned.

KANTI CHAUDHURI, Jt. Secy.

DEPARTMENT OF SCIENCE AND TECHNOLOGY

New Delhi, the 18th February 1972

RESOLUTION

No. II.11013/2/72-Admn.I.—The question of bringing about greater coherence and co-ordination in environmental policies and programmes and to integrate environmental concerns in the process of planning for economic development and for science and technology has been engaging the attention of the Government of India for some time. The Government of India have now decided to establish a National Committee on Environmental Planning & Co-ordination consisting of non-officials and officials to keep under constant review the whole field and make recommendations to the Government on all aspects of environmental conservation and improvement.

2. The following shall be the composition of the Committee :—

Chairman

1. Shri Pitamber Pant.

Members

2. Shri Zafar Futehally, Honorary Secretary, Bombay Natural History Society, Juhu Lane, Andheri, Bombay.

3. Dr. A. K. Ganguly, Head, Health Physical Division, Bhabha Atomic Research Centre, Bombay.

4. Dr. S P. Jagota, Director, (L&T), Ministry of External Affairs, New Delhi.

5. Dr. J. S. Kanwar, Deputy Director General, Indian Council of Agricultural Research, New Delhi.

6. Dr. P. Koteswaram, Director General of Observatories, Indian Meteorological Department, Lodhi Road, New Delhi.

7. Shri Keshab Mahindra, Chairman, Mahendra & Mahendra Limited, Gatesway Building, Appollo Bunder, Bombay-1.

8. Prof. R. Misra, Department of Botany, Banaras Hindu University, Varanasi-5.

9. Dr. K. N. Panikar, Director, National Institute of Oceanography, Council of Scientific & Industrial Research, Panjim (Goa).

10. Shri P. Prabhakar Rao, Chairman, Town & Country Planning Orgn., New Delhi.

11. Dr. S. K. Seth, President, Forest Research Institute, Dehra Dun.

12. Dr. J. B. Shrivastav, Director General of Health Services, Nirman Bhavan, New Delhi.

13. Dr. T. N. Srinivasan, Professor, Indian Statistical Institute, Yojna Bhavan, New Delhi.

Secretary

14. Shri Digvijay Sinh, M.L.A. & Chairman, Ecological Council of Gujarat State, Ranjit Vilas Place, Wankaner (Gujarat), and Dr. C. K. Varshney.

3. The following will be the terms of reference of the committee :—

(i) Identifying and investigating the problems of preserving or improving the human environment in the country in the context of population growth and its distribution and economic development.

(ii) Reviewing policies and programmes which have a significant bearing on the quality of the environment and advising Government, public authorities and industry concerned, on environmental repercussions of the activities, programmes and policies and on matters relating to appropriate environmental management.

(iii) Reviewing existing legislation, and regulations and administrative machinery for environmental management and advising authorities concerned regarding necessary changes.

(iv) Proposing solutions for environmental problems after taking into account, as far as possible, all relevant factors including cost effectiveness.

(v) Ensuring that environmental policies and measure are co-ordinated with economic policies and measures and the results of environmental investigations and research are fully utilized in the wider framework of planning for economic and social development.

(vi) Advising on conservation of nature in all its aspects with a view to increasing the knowldege of nature, deepening a love of it among the people and safeguarding the rich heritage of nature in the country for the future.

(vii) Promoting research in environmental problems and establishing facilities for such research wherever necessary.

(viii) Promoting and strengthening environmental education at various levels in the educational system.

(ix) Promoting and enlarging public awareness of environmental problems through conferences, seminars, symposia or any other means.

(x) Cooperating with U.N. and other international agencies in environmental programmes of global concern, and keeping close touch with developments in the environmental field in other countries.

4. The term of the Committee will be for a period of two years.

5. The Committee will be serviced by the Department of Science and Technology, within which it has been decided to set up an office of Environmental Planning and Co-ordination, to deal with matters concerning the environment. The office will function under the direction and control of the Chairman of the Committee.

ORDER

ORDERED that a copy of the Resolution be communicated to the Chairman and all other members of the Committee on Environmetal Planning and Co-ordination.

ORDERED also that the Resolution be published in the Gazette of India for general information.

A. J. KIDWAI, Addl. Secy.

MINISTRY OF IRRIGATION AND POWER

New Delhi, the 17th February 1972

RESOLUTION

*No. F.C.*3(16)/71.—The High Level Committee constituted for making a study and suggesting economical and permanent measures for the control of the Gandak River, *vide* Ministry of Irrigation and Power Resolution No. F.C.3(16)/71, dated the 29th November, 1971 is hereby reconstituted as follows :—

Chairman

1. Shri A. C. Mitra, Retd. Engineer-in-Chief, Uttar Pradesh.

Members

2. Shri P. R. Guha, Retd. Chief Engineer, Bihar.

3. Shri K. K. Varma, Chief Engineer, Irrigation, Bihar.

4. Shri B. R. Shori, Chief Engineer, Central Water and Power Commission.

5. Shri C. V. Gole, Director, Central Water and Power Research Station, Poona.

Member-Secretary

6. Shri O. D. Sharma, Addl. Chief Engineer, Irrigation, Uttar Pradesh.

ORDER

ORDERED that a copy of the Resolution be communicated to the State Governments of Bihar and Uttar Pradesh, Ministries of Railways, Finance, Agriculture, Transport and External Affairs and Planning Commission/Prime Minister's Secretariat/Private and Military Secretary to the President/Comptroller and Auditor General of India for information.

ORDERED also that the Resolution be published in the Gazette of India and that the State Governments of Bihar and Uttar Pradesh be requested to publish it in the State Gazettes for general information.

The 28th February 1972

RESOLUTION

*No. F.C.*11(28)/71.—Reference this Ministry's Resolution No. F.C.11(28)/71, dated the 26th October, 1971, regarding the Committee to examine the causes of flood and drainage congestion in the Lower Damodar region in recent years and to devise ways and means of reducing the recurring damage in the area. The date for the submission of the report by the Committee is hereby extended upto the end of April, 1972.

ORDER

ORDERED that a copy of the Resolution be communicated to the State Governments of West Bengal and Bihar/Chairman, Damodar Valley Corporation/Prime Minister's Secretariat/Private and Military Secretary to the President/Comptroller and Auditor General of India/Planning Commission for information.

ORDERED also that the Resolution be published in the Gazete of India and that the State Government of West Bengal and the State Government of Bihar be requested to publish it in the State Gazette for general information.

B. S. BANSAL, Jt. Secy.

New Delhi, the 25th February 1972

No. EL.II-22(1)/69.—In supersession of this Ministry's Notification No. EL.II-22(1)/69, dated 1st August, 1969, the Central Government hereby appoints the following as members of the Central Standing Committee for Co-ordination of Power and Tele-communication Lines set up in terms of the late Ministry of Works, Mines & Power Resolution No. EL-II.51(7), dated the 30th May, 1949, published at page 716 of the Gazette of India, Part I, Section 1 :—

1. Member (Hydro Electric, Central Water and Power Commission (PW), New Delhi.
2. Director (Transmission), Central Water and Power Commission (PW), New Delhi.
3. Deputy Director (PTCC), Central Water and Power Commission (PW), New Delhi.
4. Deputy Director (Power), Ministry of Irrigation and Power, New Delhi.
5. Additional Chief Engineer, Posts and Telegraphs Deptt. Jabalpur.
6. Director of Telegraphs, T&D Circle, Posts and Telegraphs Deptt., Jabalpur.
7. Deputy Chief Engineer (M), Posts and Telegraphs Board, New Delhi.
8. Divisional Engineer (Telegraphs), Office of the Additional Chief Engineer, Posts and Telegraphs Deptt. Jabalpur.
9. Chief Engineer, Madhya Pradesh Electricity Board, Jabalpur.
10. Chief Engineer, Mysore State Electricity Board, Bangalore.
11. Wireless Adviser to the Government of India, Deptt. of Communications, New Delhi.
12. Deputy Director (Tele-communications), Ministry of Railways, New Delhi.
13. Deputy Director (Electrical Engineering), Ministry of Railways, New Delhi.

M. RAMANATHAN, Dy. Director (Power)

MINISTRY OF WORKS AND HOUSING

New Delhi, the 14th February 1972

RESOLUTION

No. G-25017/1/70-LII.—In this Ministry's Resolution No. G-25017/1/70-LII, dated the 20th January, 1971, a Committee was constituted to investigate comprehensively the working of the Land and Development Office. The terms of reference of the Committee were mentioned in para 2 of that Resolution. It has now been decided that, in addition, the Committee will also inquire into and report on the following matters :—

(i) There are three different agencies dealing with land/built-up property in Delhi, *viz.* the Land and Development Office, the Delhi Development Authority and the Municipal Bodies. Misuses/breaches are objected to by the Land and Development Office under the terms of the lease, by the Delhi Development Authority for the violation of the Master Plan, and by the Municipal Bodies for the violation of the Municipal bye-laws. While it is argued that there is nothing wrong in this inasmuch as each Body takes action from a separate point of view for violation of its own rules/bye-laws, there have been protests from the general public that they are penalised for the same offence three times by three different Bodies.

(ii) Use of residential premises for any other purpose, especially for commercial purpose, is a violation of the terms of the lease and of the Master Plan. Insofar as the L&DO is concerned, at present, Government ignores violations to a limited extent by lessees or their tenants who are professionals like doctors, dentists, architects, engineers, lawyers etc. (to the extent that they can use up to 500 sq. ft. of accommodation in their residential houses for their professional purposes provided they are residing on the premises. It is claimed by lessees that this concession is not enough and that the condition requiring residence on the premises and the restriction on the area to be used should be completely removed. There is also demand to extend the benefit of condonable breaches to new professions, such as that of artists, painters, sculptors, beauty specialists etc. The demand is that the list should be made more exhaustive.

(iii) Due to lack of shopping facilities in certain Colonies, specially the Refugee Colonies in Delhi, which were put up in haste and are ill-planned, certain residential premises are being used for commercial purposes by the lessees or by their tenants. Wholesale relaxation will change the character of the locality. There is demand for condonation of breaches in individual cases, especially where the misuse is committed by the original lessees who were given these residential premises as a rehabilitation measure.

(iv) The Municipal bye-laws have been liberalised since the land was leased by the L&DO. For instance, more coverage is now permissible than was a few years ago. The Policy of the Land and Development Office at present is to recover additional charges for construction of additional coverage. The L&DO permits construction only to the extent as was permissible under the Municipal bye-laws *at the time of the lease*. To claim these additional charges, the L&DO adopts a formula under which a notional area is assumed to be required to put up the additional construction and charges for additional construction are not claimed on the basis of the actual construction. It is claimed that the lease having been once granted, the benefit of additional coverage, if any, permitted by the Municipal bye-laws should go to the lessee, without Government coming into the picture.

(v) In cases where residential premises are let out by the lessees to their tenants expressly for residential purposes and the tenants misuse the premises either by opening an office or some other commercial activity in them, the lessee cannot do anything but go to a court of Law for the eviction of the tenant. The litigation process being lengthy, it takes several years to have the tenant evicted. Sometimes, the landlord may not win the case and thus may not even be able to evict the tenant. Nevertheless, the L&DO claims damages from the lessee on the ground that the lease-deed is between the lessor and the lessee and the lessor has no standing to deal with the tenant(s) of the lessee. There is complaint that this acts harshly on the landlord who, on the one hand, has to incur expenditure on litigation and, on the other, has to pay damages to the L&DO. In such cases, it is suggested that some means equitable to both Govt. and the lessee should be found, *e.g.* by which the tenant can be made legally responsible for the misuses and could be forced to pay the damages direct to Govt. or to get out of the premises.

The Committee will make a special report on item (ii) above in advance of its final report covering the other terms of reference.

ORDER

ORDERED that a copy of this Resolution be communicated to all concerned and it be published in the Gazette of India for general information.

P. C. MATHEW, Secy.

New Delhi, the 28th February 1972

RESOLUTION

No. G-25017/1/72-LII.—WHEREAS in this Ministry's Resolution No. G-25017/1/70-LII, dated the 20th January, 1971, a Committee was constituted to investigate comprehensively the working of the Land and Development Office. According to para 4 of that Resolution, the Committee was required to submit its report within one year from the date of its constitution.

WHEREAS the Committee was constituted with effect from the 1st March, 1971, under the chairmanship of Shri Homi J. H. Taleyarkhan, who has since left for Libya on his assignment as the Government of India's Ambassador to that country AND WHEREAS Shri Anil K. Chanda has now been appointed as the new Chairman to finalise the report.

AND THEREFORE it has been decided to extend the life of the Committee for another six months with effect from the 1st March, 1972.

ORDER

ORDERED that a copy of the Resolution be communicated to all concerned.

ORDERED also that the Resolution be published in the Gazette of India for general information.

S. CHAUDHURI, Jt. Secy.

PRINTED BY THE MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, FARIDABAD
AND PUBLISHED BY THE MANAGER OF PUBLICATIONS, DELHI, 1972